

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 130/2024

दिनांक : 06.11.2024

परिवादी :- श्री समीर अहमद पुत्र श्री शमीम अहमद, ग्राम-भगवानपुर चन्दनपुर, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

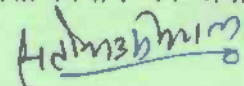
उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री समीर अहमद पुत्र श्री शमीम अहमद, ग्राम-भगवानपुर चन्दनपुर, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा नये विद्युत संयोजन के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 13.05.2024 को विद्युत संयोजन हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसका रजिस्ट्रेशन नं० 526150524003 है। जिसके उपरान्त विभाग द्वारा लाईन निर्माण का एक लाख एक हजार रुपये बताया गया है। जो कि इस धनराशि को वह जमा करने में असमर्थ हैं। जिस दिशा से विद्युत विभाग द्वारा संयोजन होना बताया गया है उस दिशा से विद्युत संयोजन की काफी दूरी है। जिसके सम्बन्ध में उन्होंने जे०ई० साहब से मिलकर भी वार्ता की थी। जे०ई० साहब के द्वारा उनको जबरदस्ती लाईन निर्माण के लिए कहा गया। जबकि उन्होंने जे०ई० से शिकायत भी की, कि बाकी लोगों को उन्होंने कैसे 80 से 90 मीटर पर कनैक्शन कर दिया व उनको विद्युत संयोजन की सेवाएं दी गयी व जे०ई० साहब ने उनके साथ अभद्रता करते हुए कहा की जहां उनको जे०ई० साहब की शिकायत करनी है वह कर सकते हैं उनका कनैक्शन नहीं होगा जब तक लाईन निर्माण नहीं कराओगे। बाकी लोगों का बिना लाईन निर्माण के 80 से 90 मीटर के दूरी से जे०ई० साहब ने कनैक्शन कर दिये हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके घर के सामने से जो लाईन जा रही है, उस पर से उनका कनैक्शन करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंडौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवार पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री समीर अहमद उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर विपक्षी विभाग को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

 क्रमशः.....02

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्र संख्या 5958 दिनांकित 26.10.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार श्री समीर अहमद पुत्र श्री शमीम अहमद, ग्राम-भगवानपुर चन्दनपुर, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार के द्वारा अघरेलू उपयोग हेतु, 05 कि०वा० का नया विद्युत संयोजन लेने के लिए आवेदन किया गया। विभाग द्वारा दिनांक 15.05.2024 को नये विद्युत संयोजन के आवेदन को पंजीकृत कर पंजीकरण संख्या 526150524003 जारी किया गया। पंजीकरण संख्या 526150524003 के सापेक्ष समस्त प्रक्रिया पूर्ण करते हुए दिनांक 30.05.2024 को रू०. 1,01,000.00 जमा कराने के लिए अवगत कराया गया। शिकायतकर्ता श्री समीर अहमद पुत्र श्री शमीम अहमद द्वारा समय रहते उक्त धनराशि विभाग में जमा न किये जाने के कारण दिनांक 22.08.2024 को नये विद्युत संयोजन के आवेदन पंजीकरण संख्या 526150524003 को निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में शिकायतकर्ता श्री समीर अहमद पुत्र श्री शमीम अहमद के द्वारा विभाग में नये विद्युत संयोजन हेतु पुनः आवेदन जमा किये जाने के उपरान्त समस्त प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के पश्चात संयोजन निर्गत किया जाना सम्भव होगा।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी द्वारा, अघरेलू श्रेणी के अंतर्गत, 05 किलोवाट विद्युत भार पर, संयोजन हेतु प्रस्तुत आवेदन को विपक्षी विभाग द्वारा पंजीकरण संख्या-526150524003 के माध्यम से दिनांक 15.05.2024 को पंजीकृत किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के प्रश्नगत परिसर का निरीक्षण, नौ दिवस विलंब से दिनांक 29.05.2024 को किया गया है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 3.3.3 (4) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार लाया जा सके तथा संभावित विद्युत उपभोक्ताओं को मा० उविनिआ द्वारा अधिसूचित विनियम, 2020 के अंतर्गत, अध्याय 3.3.3 के अनुसार निर्धारित समयावधि में विद्युत संयोजन जारी किया जाना सुनिश्चित हो सके।

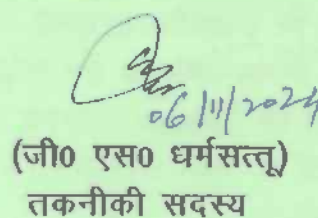
विपक्षी विभाग द्वारा प्रश्नगत आवेदित विद्युत भार को दिनांक 30.05.2024 को स्वीकृत किया गया है तथा परिवादी को आवश्यक शुल्क जमा किए जाने की सूचना, दिनांक 30.05.2024 को दी गई है परंतु परिवादी द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है। फलस्वरूप विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के प्रश्नगत नये विद्युत संयोजन हेतु प्रस्तुत आवेदन को, दिनांक 22.08.2024 को निरस्त किया गया है जो कि सही प्रतीत होता है।

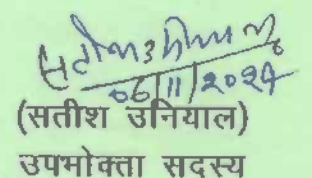
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(सिवाय कुमार)
न्यायिक सदस्य


06/11/2024
(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


06/11/2024
(सतीश चनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 135 / 2024

दिनांक : 19.11.2024

परिवादी :- श्री जुनैद पुत्र श्री नसीम, वार्ड नं0 4, पठान चौक, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री जुनैद पुत्र श्री नसीम, वार्ड नं0 4, पठान चौक, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा नये विद्युत संयोजन के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उन्होंने दिनांक 01.07.2024 को नये विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया था जो कि अभी तक पास नहीं हो पाया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनको नया कनेक्शन पास कर उनका मीटर लगवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंडौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री जुनैद उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर ही विपक्षी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्र संख्या 6311 दिनांकित 11.11.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता श्री जुनैद पुत्र श्री नसीम, वार्ड नं0 4, पठान चौक, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, जिला हरिद्वार के द्वारा अघरेलू कार्य हेतु 02 कि0वा0 भार के नये विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया। प्राप्त आवेदन को विभाग द्वारा दिनांक 01.07.2024 को पंजीकृत कर, पंजीकरण संख्या 526010724001 जारी कर दी गयी। नये विद्युत संयोजन के सापेक्ष नियमानुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर शिकायतकर्ता श्री जुनैद पुत्र श्री नसीम दिनांक 01.07.2024 को आरएपीडीआरपी प्रणाली के माध्यम से दिनांक 25.10.2024 को नये विद्युत संयोजन हेतु रू0. 10,000.00 धनराशि विभागीय खाते में जमा कराये जाने हेतु सूचित किया गया। शिकायतकर्ता श्री जुनैद पुत्र श्री नसीम द्वारा पंजीकरण संख्या 526010724001 के सापेक्ष वर्तमान तक रू0. 10000.00 विभागीय खाते में जमा नहीं किये गये हैं। रू0. 10000.00 विभागीय खाते में जमा किये जाने के उपरान्त नियमानुसार संयोजन निर्गत कर दिया

क्रमशः.....02

जायेगा।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

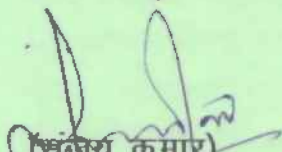
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी द्वारा नये विद्युत संयोजन हेतु, आवेदन, विपक्षी विभाग के कार्यालय को प्रेषित किया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रेषित पत्रांक 6311 दिनांक 11.11.2024 के माध्यम से होती है। विपक्षी विभाग के कथनानुसार परिवादी द्वारा अघरेलु श्रेणी के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को पंजीकरण संख्या 526010724001 के माध्यम से दिनांक 01.07.2024 को पंजीकृत किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के परिसर पर विद्युत संयोजन निर्गत न किए जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 14.08.2024 को आयोजित शिविर में, मंच के सम्मुख परिवादी द्वारा उक्त शिकायत दर्ज की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को, नये संयोजन हेतु वांछित शुल्क जमा किए जाने के संबंध में सूचना, दिनांक 25.10.2024 को दी गई है। विपक्षी विभाग द्वारा प्रारंभिक प्रतिभूति मद में ₹0 9000.00 (तीन गुना दर से) तथा सर्विस लाइन चार्जज मदमें ₹0 1000.00, कुल ₹0 10000.00 की घनराशि जमा किए जाने हेतु परिवादी को सूचित किया गया है। उक्त से स्पष्ट होता है कि परिवादी का परिसर, विपक्षी विभाग के वर्तमान में विद्यमान, एलटी वितरण मेन से 40 मीटर से कम की दूरी पर स्थित है।

विपक्षी विभाग द्वारा आवेदन की पंजीकरण की तिथि-01.07.2024 के पश्चात, लगभग 3.80 माह बाद, उक्त वांछित शुल्क ₹0 10,000.00 की मांग जारी किया गया है। निर्धारित समयावधि के अंतर्गत मांग पत्र जारी न करते हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 3.3.3 (9/11) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकी भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को नियमानुसार ससमय नये संयोजन जारी करते हुए विद्युत सुविधा का लाभ मिल सके।

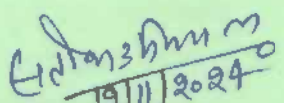
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा जारी मांग नोट के अनुसार वांछित शुल्क ₹0 10000.00, विपक्षी विभाग के पक्ष में परिवादी द्वारा जमा किए जाने की तिथि से 15 दिन के भीतर, एक सही मीटर के माध्यम से नियमानुसार संयोजन को ऊर्जीकृत किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी द्वारा वांछित शुल्क ₹0 10,000.00 जमा किए जाने पर, नियमानुसार संयोजन जारी करना सुनिश्चित करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(निशंत कुमार)
न्यायिक सदस्य


19/11/2024
(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


19/11/2024
(सतीश चनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 137/2024

दिनांक : 05.11.2024

परिवादी :- श्री इकराम पुत्र श्री शहीद अहमद, ग्राम-हरजौली जट, पोस्ट-गुरुकुल नारसन, लंदौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री इकराम पुत्र श्री शहीद अहमद, ग्राम-हरजौली जट, पोस्ट-गुरुकुल नारसन, लंदौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD1F113850462 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका मीटर माह मई में बदला गया था, परन्तु अब भी उनका बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंदौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री इकराम उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर ही विपक्षी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 5641 दिनांकित 18.10.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या-RD1F113850462, श्री इकराम पुत्र श्री शहीद अहमद, ग्रा० हरजौली जट, पोस्ट गुरुकुल नारसन, रुड़की, जिला हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु, 01 कि०वा०, दिनांक 28.03.2010 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या-RD1F113850462 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी, लण्डौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक सं० 951 दिनांक 16.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन संख्या-RD1F113850462 के बीजक, मीटर यूनिट के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं। वर्तमान में उक्त संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर सं० जीयू138534 में दर्ज यूनिट 727 केडब्लूएच है। बीजक मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं। विद्युत संयोजन सं०-RD1F113850462 का बीजक रू० 42388.00 धनराशि है जो कि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

क्रमशः.....02

(Handwritten signature)

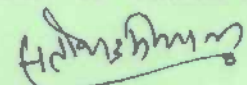
मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 01 किलोवाट भार पर दिनांक 28.03.2010 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 12.10.2024 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा गत वर्षों में निम्नानुसार, विद्युत खपत के बिल परिवादी को जारी किए गए:-

क्र०सं०	अवधि से तक		माह	कुल विद्युत खपत (यूनिट)	औसत मासिक खपत (लगभग) (यूनिट में)
1	05.03.2018	08.03.2019	12.10	1106	91
2	08.03.2019	17.03.2020	12.30	804	65
3	17.03.2020	09.03.2021	11.40	1126	99
4	09.03.2021	15.03.2022	12.13	1039	86
5	15.03.2022	14.03.2023	11.96	711	59
6	14.03.2023	12.10.2023	6.93	471	68
7	12.10.2023	14.11.2023	1.06	2438	2300

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि क्रमांक 07 पर दर्शायी गई औसत मासिक विद्युत खपत-2300 यूनिट, क्रमांक 05 पर दर्शायी गई औसत विद्युत खपत (न्यूनतम)-59 यूनिट की तुलना में, 97.34 प्रतिशत तथा क्रमांक 03 पर दर्शायी गई औसत मासिक विद्युत खपत (अधिकतम)-99 यूनिट की तुलना में, 95.69 प्रतिशत अधिक है जो कि सही प्रतीत नहीं होती है। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर पूर्व में गतिमान मीटर संख्या-029495 के दोषपूर्ण हो जाने के उपरांत दिनांक 13.05.2024 को मीटर संख्या-जीयू138534 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त नये मीटर संख्या-जीयू138534 पर, दिनांक 13.05.2024 से दिनांक 12.10.2024 तक, लगभग 4.96 माह की अवधि में, कुल 695 (695-0) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 4.96 माह की अवधि में, लगभग 140 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि उक्त 2300 यूनिट प्रतिमाह की तुलना में, 93.91 प्रतिशत कम है। बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार दिनांक 13.05.2024 को, मीटर संख्या-029495 पर मीटर रीडिंग-8259 दर्ज पाई गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा, दिनांक 12.10.2023 से दिनांक 13.05.2024 तक, लगभग 07 माह की अवधि में 326 (8259-7933) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 07 माह की अवधि में, लगभग 47 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है। दिनांक 14.11.2023 को जारी बिल में मीटर रीडिंग 10371 केंडब्ल्यूएच दर्शायी गई है जो कि उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में सही प्रतीत नहीं होती है।

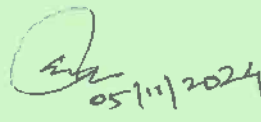
अतः उपरोक्त तथ्यों तथा साक्ष्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को दिनांक 14.11.2023 से दिनांक 14.05.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 12.10.2023 से दिनांक 13.05.2024 तक की अवधि हेतु, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर पूर्व में गतिमान मीटर संख्या-029495 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर जारी तीन बिलिंग चक्रों के औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 13.05.2024 से दिनांक 24.05.2024 तक वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या-जीयू138532 पर दर्ज वास्तविक विद्युत के आधार पर संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

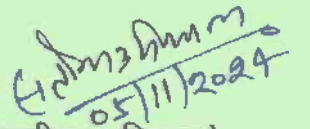
 क्रमशः.....03

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 14.11.2023 से दिनांक 14.05.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 12.10.2023 से दिनांक 13.05.2024 तक की अवधि हेतु, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर पूर्व में गतिमान मीटर संख्या- 029495 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर जारी तीन बिलिंग चक्रों के औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 13.05.2024 से दिनांक 24.05.2024 तक वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या-जीयू138532 पर दर्ज वास्तविक विद्युत के आधार पर संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 141/2024

दिनांक : 19.11.2024

परिवादी :- श्री आसीफ पुत्र श्री यासीन, ग्राम-आमखेड़ी, पोस्ट-मुण्डलाना, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

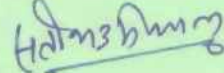
परिवादी श्री आसीफ पुत्र श्री यासीन, ग्राम-आमखेड़ी, पोस्ट-मुण्डलाना, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD1F312154819 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका मीटर बदला गया था, परन्तु अभी भी उनका बिल आरडीएफ में आ रहा है। उन्होंने इसकी सूचना पहले भी विभाग को दी थी परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल एवं मीटर ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लण्डौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री आशिफ उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर ही विपक्षी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 6312 दिनांकित 11.11.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या-RD1F312154819, श्री आसीफ पुत्र श्री यासीन, ग्राम-आमखेड़ी, पोस्ट-मुण्डलाना, रुड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु, 02 कि०वा०, दिनांक 08.10.2015 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्डौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 1065 दिनांक 08.11.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 06.12.2023 को उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित खराब विद्युत मापक संख्या जी०५१८५२ के सापेक्ष नया विद्युत मापक संख्या यू९८३८३७ स्थापित किया गया। संयोजन संख्या-RD1F312154819 के बीजक को संशोधित कर दिया गया है। उक्त विद्युत संयोजन का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू०. 14954.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान





क्रमशः.....02

किया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02 किलोवाट भार पर, दिनांक 08.10.2015 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, वर्तमान में एमयू आधार पर बिल जारी किए जा रहे हैं। दिनांक 17.01.2023 से दिनांक 21.11.2023 तक, लगातार 08 बिलिंग चक्रों के लिए आरडीएफ/आईडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकी भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें।

विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 08.11.2022 से दिनांक 06.12.2023 तक, लगभग 13 माह की अवधि हेतु कुल 2911 यूनिट, विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए बिल जारी किया गया है। इस प्रकार उक्त 13 माह की अवधि हेतु, विपक्षी विभाग द्वारा लगभग 224 यूनिट प्रतिमाह की विद्युत खपत का निर्धारण किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त 13 माह से पूर्व, दिनांक 07.11.2021 से दिनांक 08.11.2022 तक, लगभग 12 माह की अवधि हेतु कुल 1818 (11669-9851) यूनिट विद्युत खपत के बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 12 माह की अवधि में लगभग 152 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है।

उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा उक्त 13 माह (08 बिलिंग चक्रों हेतु) की अवधि में आरडीएफ/आईडीएफ आधार पर, गत 12 माह (06 बिलिंग चक्रों) में दर्ज औसत विद्युत खपत की तुलना में लगभग 47.37 प्रतिशत अधिक विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए बिल जारी किए गए हैं जो कि सही प्रतीत नहीं होते हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा पूर्व में किए गए बिल संशोधनों को निरस्त करते हुए, दिनांक 08.11.2022 से दिनांक 06.12.2023 तक की अवधि हेतु, पूर्व में दिनांक 07.11.2021 से दिनांक 08.11.2022 तक की गई विद्युत खपत 1818 (11669-9851) यूनिट के सापेक्ष दर्ज मासिक औसत विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 06.12.2023 के पश्चात, परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-यू983837 पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर, परिवादी को संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह पूर्व में किए गए बिल संशोधनों को निरस्त करते हुए, दिनांक 08.11.2022 से दिनांक 06.12.2023 तक की अवधि हेतु, पूर्व में दिनांक 07.11.2021 से दिनांक 08.11.2022 तक की गई विद्युत खपत 1818 (11669-9851) यूनिट के सापेक्ष दर्ज मासिक औसत विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 06.12.2023 के पश्चात, परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-यू983837 पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर, परिवादी को संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)

न्यायिक सदस्य

(जी० एस० धर्मसत्तु)

तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)

उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 145/2024

दिनांक : 26.11.2024

परिवादी :- श्री मनसुर अली पुत्र श्री ईशाक, ग्राम-भगवानपुर चन्दनपुर, पोस्ट-लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री मनसुर अली पुत्र श्री ईशाक, ग्राम-भगवानपुर चन्दनपुर, पोस्ट-लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD1L311157476 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका कहना है कि उनका मीटर सही है परन्तु उनका बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लण्डौरा में, विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए, शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री इकराम उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपने तर्क प्रस्तुत किये गये। विपक्षी को जवाब हेतु, मंच द्वारा मौके पर ही नोटिस जारी किया गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा, पत्र संख्या 6404 दिनांकित 16.11.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या-RD1L311157476, श्री मनसुर अली पुत्र श्री ईशाक, ग्राम-भगवानपुर चन्दनपुर, पोस्ट-लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार के नाम पर, घरेलू उपयोग हेतु, 02 कि०वा०, दिनांक 09.03.2019 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्डौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 888 दिनांक 04.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित चैक मीटर संख्या यू832698 के सापेक्ष पुराना मीटर 539 प्रतिशत तेज (खराब) पाये जाने के कारण परीक्षणशाला, रुड़की द्वारा दिनांक 08.05.2023 को चैक मीटर संख्या यू832698 को फाइनल किया गया है। चैक मीटर में दर्ज खपत/रीडिंग के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या-RD1L311157476 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रु०. 44102.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

क्रमशः.....02

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

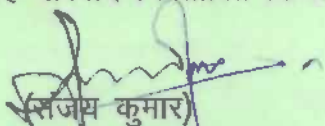
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02 किलोवाट भार पर, दिनांक 09.03.2019 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 17.10.2024 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 11.02.2024 के पश्चात, 05 बिलिंग चकों हेतु बिल जारी नहीं किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में बिल जारी न करते हुए, मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (2/4) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को निर्धारित समयावधि के भीतर बिल जारी किए जा सकें। दिनांक 09.01.2023 तथा दिनांक 06.03.2023 को जारी बिल में, दिनांक 17.11.2022 से दिनांक 06.03.2023 तक लगभग 3.63 माह की अवधि हेतु, कुल 8469 (17042-8573) यूनिट विद्युत खपत के बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 3.63 माह की अवधि में 2333 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है।

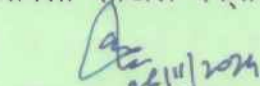
विपक्षी विभाग द्वारा पूर्व में, दिनांक 13.05.2022 से दिनांक 17.11.2022 तक, लगभग 6.13 माह की अवधि हेतु, कुल 1670 (8573-6903) यूनिट विद्युत खपत के बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 6.13 माह में, लगभग 272 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि उक्त 2333 यूनिट प्रतिमाह की तुलना में, 88.34 प्रतिशत कम है। इसी परिपेक्ष्य में, परिवादी की शिकायत पर, प्रश्नगत संयोजन पर चैक मीटर स्थापित किया गया है। चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार, परिवादी के संयोजन पर स्थापित मेन मीटर संख्या-यू418574, चैक मीटर की तुलना में 539.00 प्रतिशत तेज पाया गया है। उक्त से स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा दोषपूर्ण मीटर संख्या-यू418574 पर दर्ज त्रुटिपूर्ण खपत के आधार पर बिल जारी किए गए हैं जो कि सही प्रतीत नहीं होते हैं। इसी कम में, विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 6404 दिनांक 16.11.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के संयोजन पर स्थापित चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए, दोषपूर्ण मीटर संख्या-यू418574 के सापेक्ष जारी बिलों को नियमानुसार संशोधित करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि, विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

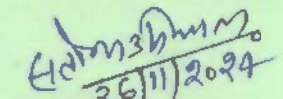
अतः उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के संयोजन पर स्थापित चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए, दोषपूर्ण मीटर संख्या-यू418574 के सापेक्ष जारी बिलों को नियमानुसार संशोधित करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर देने के फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(राजेश कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 148/2024

दिनांक : 05.11.2024

परिवादी :- श्री महफूज आलम पुत्र श्री मो० युनूस, वार्ड नं० 2, बाहरी किला, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री महफूज आलम पुत्र श्री यासीन, वार्ड नं० 2, बाहरी किला, पोस्ट-लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD11508154991 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल काफी समय से आईडीएफ के आधार पर दिया जा रहा है जो कि बहुत अधिक और गलत है। क्योंकि वह परिवार के साथ अधिकतर काम के कारण बाहर ही रहते हैं। उन्होंने कुछ समय पहले ही बिल रु० 20,000.00 जमा किये थे इसके बाद भी उनको रु० 50,000.00 से अधिक का बिल दे दिया गया है जो कि बिल्कुल गलत है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंडौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री आरिफ उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर विपक्षी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 5577 दिनांकित 15.10.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या-RD11508154991, श्री महफूज आलम द्वारा श्री आरिफ के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु, 02 कि०वा०, दिनांक 08.11.2015 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्डौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 877 दिनांक 01.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन RD11508154991 पर स्थापित विद्युत मापक संख्या जी०22340 आईडीएफ के आधार पर नया विद्युत मापक संख्या जीयू138354 के सापेक्ष दिनांक 15.07.2024 को बदला गया है।

क्रमशः.....02

नये विद्युत मापक संख्या जीयू138354 की वर्तमान औसत रीडिंग के आधार पर बीजक को आरएपीडीआरपी प्रणाली के माध्यम से संशोधित कर दिया गया है। उक्त विद्युत संयोजन का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रु0. 7216.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर दिनांक 08.11.2015 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 09.03.2021 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। इसके बाद दिनांक 16.05.2021 से दिनांक 17.04.2024 तक, लगातार 20 बिलिंग चक्रों के लिए, आईडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, मा10 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकी भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें।

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 08.11.2015 से दिनांक 09.03.2021 तक, लगभग 64 माह की अवधि हेतु, कुल 3843 यूनिट की विद्युत खपत के बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 64 माह की अवधि में, लगभग 60 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत की गई है। जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 09.03.2021 से दिनांक 17.07.2024 तक, लगभग 40.20 माह की अवधि हेतु, कुल 9195 यूनिट विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार उक्त 40.20 माह की अवधि में औसतन लगभग 229 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत का निर्धारण किया गया है जो कि उक्त औसत मासिक विद्युत खपत 60 यूनिट की तुलना में 281.66 प्रतिशत अधिक है जो कि सही प्रतीत नहीं होती है। परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में स्थापित मीटर संख्या-जी022340 को, दोषपूर्ण हो जाने पर मीटर संख्या-जीयू138354 द्वारा दिनांक 15.07.2024 को प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त नये मीटर संख्या-जीयू138354 पर, दिनांक 15.07.2024 से दिनांक 21.09.2024 तक, लगभग 2.23 माह की अवधि में, कुल 111 (111-0) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज पाई गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 2.23 माह की अवधि में, लगभग 50 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि उक्त औसत मासिक विद्युत खपत 229 यूनिट की तुलना में 78.17 प्रतिशत कम है। उक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 09.03.2021 से दिनांक 17.07.2024 तक की अवधि में, दोषपूर्ण मीटर संख्या-जी022340 के सापेक्ष अत्यधिक विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए बिल जारी किए गए हैं जिसे किसी भी दशा में सही नहीं ठहराया जा सकता है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 5577 दिनांक 15.10.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-जीयू138354 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के सापेक्ष आंगणित औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर पूर्व में, आईडीएफ आधार पर जारी अनंतिम बिलों को संशोधित करते हुए तथा दिनांक 17.07.2024 से दिनांक 21.09.2024 तक की अवधि में मीटर संख्या-जीयू138354 पर दर्ज विद्युत खपत के सापेक्ष आंगणित औसत विद्युत खपत के आधार पर उक्त अवधि हेतु संशोधित बिल परिवादी को जारी करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

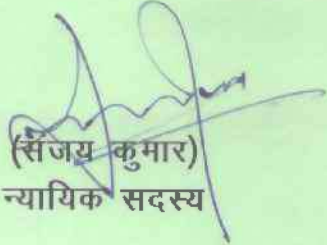
Handwritten signature

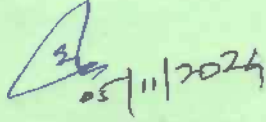
क्रमशः.....03

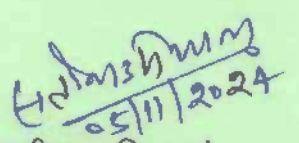
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 149/2024

दिनांक : 05.11.2024

परिवादी :- श्री शुभम कुमार पुत्र श्री शिव कुमार, ग्राम व पोस्ट-मुण्डलाना, रूड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री शुभम कुमार पुत्र श्री शिव कुमार, ग्राम व पोस्ट-मुण्डलाना, रूड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD1F211503618 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका दिनांक 01.11.2023 तक का बिल रू० 17,251.00 था जो कि दिनांक 25.11.2023 को रू० 32,902.00 का हो गया। जिसकी सूचना उन्होंने विद्युत विभाग को दी, जिसमें उनका मीटर खराब पाया गया। जिसके बाद विभाग द्वारा उनका मीटर बदल दिया गया। लेकिन उनका बिल अब तक भी विभाग द्वारा ठीक/कम नहीं किया गया है। इस वजह से उनका बिल बढ़ता ही जा रहा है जिस कारण वह बिल जमा करने में असमर्थ हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लण्डौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री शुभम कुमार उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर ही विपक्षी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 5639 दिनांकित 18.10.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या-RD1F211503618, शुभम कुमार पुत्र श्री शिव कुमार, ग्राम व पोस्ट-मुण्डलाना, रूड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु, 02 कि०वा०, दिनांक 21.11.2020 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन सं० RD1F211503618 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी, लण्डौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक सं० 957 दिनांक 16.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन RD1F211503618 के बीजक मीटर यूनिट के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं। दिनांक 02.05.2024 को उपभोक्ता परिसर पर स्थापित

क्रमशः.....02

खराब मीटर के सापेक्ष नया मीटर सं० जीयू115765 स्थापित कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर सं० जीयू11565 में यूनिट 1369 केडब्लूएच है। बीजक रीडिंग के आधार पर निर्गत किया जा रहे हैं। विद्युत संयोजन सं०- RD1F211503618 का बीजक रू० 50667.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर दिनांक 21.11.2020 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 10.11.2023 तक एमयू आधार पर, दिनांक 01.01.2024 एवं 01.02.2024 को एनआर आधार पर, दिनांक 16.02.2024 को एमयू आधार पर, दिनांक 01.05.2024 को एनआर, दिनांक 21.05.2024 को एमसी तथा दिनांक 12.08.2024 एवं दिनांक 21.09.2024 को एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादी के संयोजन पर पूर्व में गतिमान मीटर संख्या-96265900 के दोषपूर्ण हो जाने पर, मीटर संख्या-जीयू115765 द्वारा दिनांक 02.05.2024 को प्रतिस्थापित किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 08.03.2022 से दिनांक 07.09.2022 तक, लगभग 06 माह की अवधि हेतु, कुल 1046 (2707-1661) यूनिट की विद्युत खपत के बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 06 माह की अवधि में लगभग 174 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 07.09.2022 से दिनांक 17.10.2023 तक, लगभग 13.33 माह की अवधि हेतु, कुल 305 (3012-2707) यूनिट विद्युत खपत के बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 13.33 माह की अवधि में, 23 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि उक्त 174 यूनिट प्रतिमाह की तुलना में, 86.78 प्रतिशत कम है।

विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 17.10.2023 से दिनांक 10.11.2023 तक, लगभग 0.77 माह की अवधि हेतु कुल 2235 (5247-3012) यूनिट के विद्युत खपत के बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 0.77 माह के सापेक्ष, लगभग 2903 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत किए जाने की संभावना बनती है जो कि उक्त 174 तथा 23 यूनिट प्रतिमाह की तुलना में क्रमशः 94.01 तथा 99.21 प्रतिशत अधिक है।

बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या-96265900 पर दिनांक 07.09.2022 को मीटर रीडिंग 2707 केडब्लूएच तथा दिनांक 10.11.2023 को मीटर रीडिंग 5247 केडब्लूएच दर्ज पाई गई है। उक्त मीटर रीडिंग के आधार पर परिवादी द्वारा, दिनांक 07.09.2022 से दिनांक 10.11.2023 तक, लगभग 14 माह की अवधि में, कुल 2540 (5247-2707) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 14 माह की अवधि में, लगभग 181 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि उक्त 174 यूनिट प्रतिमाह खपत की तुलना में सही प्रतीत होती है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 07.09.2022 से दिनांक 10.11.2023 के मध्य, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या-96265900 पर, समय-समय पर दर्ज खपत/रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल जारी नहीं किए गए हैं। परिणामस्वरूप दिनांक 10.11.2023 को जारी बिल में, पूर्व माह की अवधि के अवशेष विद्युत खपत को सम्मिलित करते हुए अत्यधिक विद्युत खपत का बिल जारी किया गया है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को दिनांक 12.11.2022 से दिनांक 21.05.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 07.09.2022 से दिनांक 02.05.2024 तक की अवधि हेतु, मीटर संख्या-96265900 पर, दिनांक 07.09.2022 से दिनांक 10.11.2023 तक की अवधि में दर्ज की गई विद्युत खपत 2540 (5242-2707)

(हस्ताक्षर)

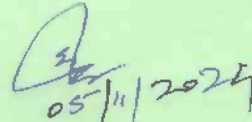
क्रमशः.....03

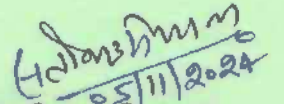
यूनिट के सापेक्ष दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 02.05.2024 से दिनांक 21.09.2024 तक की अवधि में मीटर संख्या-जीयू115765 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर परिवादी को संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 12.11.2022 से दिनांक 21.05.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 07.09.2022 से दिनांक 02.05.2024 तक की अवधि हेतु, मीटर संख्या-96265900 पर, दिनांक 07.09.2022 से दिनांक 10.11.2023 तक की अवधि में दर्ज की गई विद्युत खपत 2540 (5242-2707) यूनिट के सापेक्ष दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 02.05.2024 से दिनांक 21.09.2024 तक की अवधि में मीटर संख्या-जीयू115765 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर परिवादी को संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


05/11/2024
(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


05/11/2024
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 152/2024

दिनांक : 05.11.2024

परिवादी :- श्री मौ० आरिफ पुत्र श्री रियासत, ग्राम-पीरपुरा, पोस्ट-मंगलौर, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री मौ० आरिफ पुत्र श्री रियासत, ग्राम-पीरपुरा, पोस्ट-मंगलौर, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD2L322947214 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उन्होंने अपने परिसर पर मीटर चैक करवाने हेतु, दिनांक 06.02.2023 को चैक मीटर लगवाया था, जिसमें चैक मीटर के सापेक्ष पुराना मीटर 1506 प्रतिशत फास्ट पाया गया। इसके बाद वह विभाग के कार्यालय में बिल ठीक करवाने गए, लेकिन उनका बिल ठीक नहीं किया गया। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री अफजल उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर ही विपक्षी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 5578 दिनांकित 15.10.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या-RD2L322947214, श्री मौ० आरिफ पुत्र श्री रियासत के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु, 02 कि०वा०, दिनांक 28.09.2022 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्डौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 771 दिनांक 10.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन RD2L322947214 पर दिनांक 06.02.2023 को चैक मीटर लगाया गया। चैक मीटर के सापेक्ष पुराना मीटर खराब पाया गया। जोकि दिनांक 26.06.2024 को फाइनल किया गया। चैक विद्युत मापक संख्या यू915013 की रीडिंग के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। उक्त विद्युत संयोजन

क्रमशः.....02

का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू०. 12375.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर दिनांक 28.09.2020 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 16.11.2023 तक एमयू आधार पर, दिनांक 13.12.2023 से दिनांक 22.06.2024 तक, लगातार 07 बिलिंग चक्रों के लिए आईडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी किए गए हैं। तदपश्चात् दिनांक 21.07.2024 से दिनांक 19.09.2024 तक एमयू के आधार पर बिल जारी किए गए हैं।

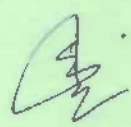
विपक्षी विभाग द्वारा, लगातार 07 बिलिंग चक्रों के लिए अनंतिम बिल जारी करते हुए, मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकी भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें।

विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 26.12.2022 को जारी बिल में, दिनांक 25.10.2022 से दिनांक 26.12.2022 तक, लगभग दो माह की अवधि हेतु, कुल 582 (1730-1148) यूनिट की विद्युत खपत दर्शायी गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त दो माह की अवधि में, 261 यूनिट प्रतिमाह औसत की दर से विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 25.02.2023 को जारी बिल में, दिनांक 26.12.2022 से दिनांक 25.02.2023 तक, लगभग 2 माह की अवधि में कुल 3994 (5724-1730) यूनिट के विद्युत खपत दर्शायी गई है। इस प्रकार उक्त 2 माह की अवधि में 1997 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जबकि परिवादी द्वारा दिनांक 08.04.2022 से दिनांक 25.10.2022 तक, लगभग 6.56 माह की अवधि में, कुल 772 (1148-776) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 6.56 माह की अवधि में, लगभग 57 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त औसत विद्युत खपत 261 तथा 1997 यूनिट की तुलना में क्रमशः 78.16 तथा 97015 प्रतिशत कम है।

परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित चैक मीटर की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व में स्थापित मीटर संख्या-यू352647, चैक मीटर संख्या-यू915013 की तुलना में 1506.06 प्रतिशत तेज पाया गया है। उक्त से स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 26.12.2022 तथा दिनांक 25.02.2023 को, उक्त दोषपूर्ण मीटर पर दर्ज विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर, अत्यधिक विद्युत खपत के बिल जारी किए गए हैं जो कि सही प्रतीत नहीं होते हैं।

इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 5578 दिनांक 15.10.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि दोषपूर्ण मीटर संख्या-यू352647 के सापेक्ष जारी बिलों को निरस्त करते हुए, पूर्व में एमयू आधार पर जारी बिलों में दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत-57 यूनिट के आधार पर तथा दिनांक 06.02.2023 से दिनांक 19.09.2024 तक की अवधि हेतु मीटर संख्या-यू915013 पर दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत-28 यूनिट के आधार पर संशोधित बिल जारी करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

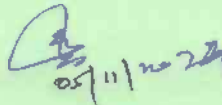



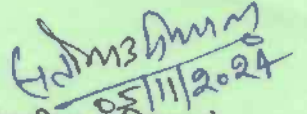
क्रमशः.....03

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(राजिव कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्त)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 162/2024

दिनांक : 26.11.2024

परिवादी :- श्रीमती लाल्ली पत्नी श्री जुहरा, नियर बालाजी मन्दिर, ग्राम-मुण्डलाना, पोस्ट-लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

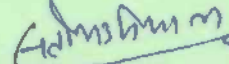
निर्णय

परिवादिनी श्रीमती लाल्ली पत्नी श्री जुहरा, नियर बालाजी मन्दिर, ग्राम-मुण्डलाना, पोस्ट-लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD1F211851158 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उन्होंने मीटर की एमआरआई करवायी थी, परन्तु फिर भी उनका विद्युत बिल ज्यादा आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंडौरा में, विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि शहनाज उपस्थित हुई तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादिनी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपने तर्क प्रस्तुत किये गये। विपक्षी को जवाब हेतु, मंच द्वारा मौके पर ही नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्र संख्या 6407 दिनांकित 16.11.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या-RD1F211851158, श्रीमती लाल्ली पत्नी श्री जुहरा, नियर बालाजी मन्दिर, ग्राम-मुण्डलाना, पोस्ट-लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार के नाम पर, घरेलू उपयोग हेतु, 01 कि०वा०, दिनांक 23.01.2010 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्डौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 950 दिनांक 16.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन संख्या-RD1F211851158 पर स्थापित विद्युत मीटर संख्या 61950057 में, एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान रीडिंग 3952 कंडब्लूएच के आधार पर, बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या-RD1F211851158 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू०. 2961.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

 क्रमशः.....02

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

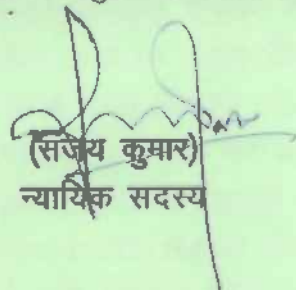
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन, 01 किलोवाट भार पर, दिनांक 23.01.2010 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 09.11.2023 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 21.09.2024 तक, लगातार, 10 बिलिंग चकों के लिए, एनआर/आरडीएफ/आईडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, लगातार 02 बिलिंग चकों से अधिक बार अनंतिम बिल जारी करते हुए, मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें।

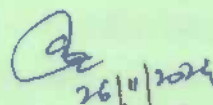
परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-61950057 के सापेक्ष, विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार, उक्त मीटर पर, दिनांक 14.10.2024 को, मीटर रीडिंग-3952.4 केडब्लूएच पाई गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 09.11.2023 को जारी बिल में, मीटर रीडिंग (एफआर) 5952 केडब्लूएच दर्शायी गई है। उक्त से स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 09.11.2023 से दिनांक 21.09.2024 तक, त्रुटिपूर्ण मीटर रीडिंग के आधार पर, अधिक विद्युत खपत तथा आंकलन के आधार पर, अनंतिम बिल जारी किए गए हैं। बिलिंग हिस्ट्री तथा एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार परिवादिनी द्वारा दिनांक 24.08.2023 से दिनांक 14.10.2024 तक, लगभग 13.66 माह की अवधि में, कुल 246 (3952-3706) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त 13.66 माह की अवधि हेतु, गलत मीटर रीडिंग तथा अनंतिम बिल के सापेक्ष निर्धारण के आधार पर, कुल 6412 यूनिट के बिल जारी किए गए हैं जो कि परिवादिनी द्वारा की गई वास्तविक विद्युत खपत-246 यूनिट की तुलना में, 2506.50 प्रतिशत अधिक है जिसे किसी भी दशा में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 6407 दिनांक 16.11.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादिनी के संयोजन के सापेक्ष, दिनांक 09.11.2023 से दिनांक 21.09.2024 तक जारी बिलों को निरस्त करते हुए, प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-61950057 पर, दिनांक 14.10.2024 को दर्ज पायी गई मीटर रीडिंग-3952 केडब्लूएच के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

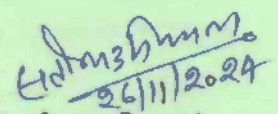
अतः उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 09.11.2023 से दिनांक 21.09.2024 तक जारी बिलों को निरस्त करते हुए, प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-61950057 पर, दिनांक 14.10.2024 को दर्ज पायी गई मीटर रीडिंग-3952 केडब्लूएच के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादिनी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


26/11/2024
(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


26/11/2024
(सतीश चनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 179/2024

दिनांक : 13.11.2024

परिवादी :- श्री जोध सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह, ग्राम-सिकन्दरपुर मवाल, पोस्ट-मुण्डलाना, लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री जोध सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह, ग्राम-सिकन्दरपुर मवाल, पोस्ट-मुण्डलाना, लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD2F222045283, के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल बहुत अधिक आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंडौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री जोध सिंह उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपने तर्क प्रस्तुत किये। विपक्षी को, जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु, मौके पर ही नोटिस, मंच द्वारा जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 6197 दिनांकित 30.10.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या-RD2F222045283, श्री जोध सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह, ग्राम-सिकन्दरपुर मवाल, पोस्ट-मुण्डलाना, लंडौरा, रुड़की, हरिद्वार के नाम पर, घरेलू उपयोग हेतु, 01 कि०वा०, दिनांक 31.08.1990 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD2F222045283, के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी, लण्डौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 1012 दिनांक 26.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त संयोजन के बीजक, माह 12/2023 तक एमयू के आधार पर बनाये गये हैं। इसके उपरान्त माह 01/2024 में एनआर तथा माह 02/2024 से 04/2024 तक आईडीएफ पर, पुराने मीटर की औसत खपत के आधार पर बनाये गये हैं। परिसर पर स्थापित पुराना विद्युत मापक संख्या 15583272 को, आईडीएफ के आधार पर नये

क्रमशः.....02

विद्युत मापक संख्या जीयू114844 द्वारा, दिनांक 31.05.2024 को बदल दिया गया। उक्त संयोजन के बीजक वर्तमान में भी एमयू के आधार पर बनाये जा रहे हैं। विद्युत संयोजन संख्या RD2F222045283 के सापेक्ष, अन्तिम बकाया बीजक, 17 माह पूर्व दिनांक 31.05.2023 को भुगतान किया गया था। वर्तमान बकाया बीजक रू०. 48215.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 01 किलोवाट भार पर, दिनांक 31.08.1990 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा वर्तमान में, एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए जा रहे हैं। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, विपक्षी विभाग द्वारा निम्नानुसार, विद्युत खपत के बिल जारी किए गए हैं:-

क. सं.	मीटर सं०	अवधि		माह लगभग	विद्युत खपत	औसत मासिक खपत (लगभग यूनिट)
		से	तक			
1	15583272	20.04.2023	16.06.2023	02	0	0
2		16.06.2023	11.08.2023	02	164	82
3		11.08.2023	14.11.2023	03	2682	894
4		14.11.2023	23.12.2023	1.3	54	42
5		20.04.2023	23.12.2023	08	2900	363
6	जीयू114844	31.03.2024	24.09.2024	5.76	2854	495

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर पूर्व में स्थापित मीटर संख्या-15583272 पर, समय-समय पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर, विद्युत बिल जारी नहीं किए गए हैं। क्रमांक 5 के अनुसार मीटर संख्या-15583272 पर, दिनांक 20.04.2023 से दिनांक 23.12.2023 तक, लगभग 08 माह की अवधि में, लगभग 363 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या-जीयू114844 पर, दिनांक 31.03.2024 से दिनांक 24.09.2024 तक, लगभग 5.76 माह में दर्ज 495 यूनिट प्रतिमाह की तुलना में सही प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को दिनांक 16.06.2023 से दिनांक 23.12.2023 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 20.04.2023 से दिनांक 23.12.2023 तक की अवधि हेतु, मीटर रीडिंग (आईआर)-1200 केडब्लूएच से मीटर रीडिंग (एफआर)-4100 केडब्लूएच तक की गई कुल विद्युत खपत-2900 केडब्लूएच के सापेक्ष दर्ज, औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

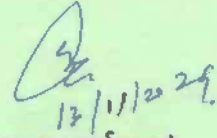
(हस्ताक्षर)

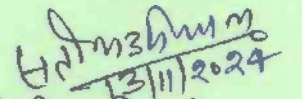
क्रमशः.....03

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 16.06.2023 से दिनांक 23.12.2023 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 20.04.2023 से दिनांक 23.12.2023 तक की अवधि हेतु, मीटर रीडिंग ए-1200 केडब्लूएच से मीटर रीडिंग (एफआर)-4100 केडब्लूएच तक, की गई कुल विद्युत खपत-2900 केडब्लूएच के सापेक्ष दर्ज, औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल जारी जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


12/11/2024
(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


13/11/2024
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 182/2024

दिनांक : 05.11.2024

परिवादी :- श्री असलम पुत्र श्री मकसूद, ग्राम-बिझौली, पोस्ट-मिलाप नगर, लंदौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री असलम पुत्र श्री मकसूद, ग्राम-बिझौली, पोस्ट-मिलाप नगर, लंदौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD2L222153194 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका विद्युत बिल गलत आ रहा था। उनके द्वारा मीटर भी बदलवा लिया गया था, लेकिन माह नवम्बर 2023 से उनका बिल सही नहीं किया गया। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंदौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री असलम उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर ही विपक्षी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 5576 दिनांकित 15.10.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या-RD2L222153194, श्री असलम पुत्र श्री मकसूद के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु, 02 कि०वा०, दिनांक 18.10.2012 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्डौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 875 दिनांक 01.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक संख्या यू835023 में रीडिंग 697 केडब्लूएच के आधार पर बीजक आरएपीडीआरपी प्रणाली के माध्यम से संशोधित कर दिया गया है। उक्त संयोजन का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू०. 8883.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Handwritten signature

क्रमशः.....02

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर दिनांक 18.10.2012 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 27.08.2023 तक एमयू आधार पर, दिनांक 03.10.2023 को एमसी आधार पर, दिनांक 13.10.2023 को आरडीएफ आधार पर, दिनांक 09.11.2023 को एमयू आधार पर, दिनांक 30.12.2023 से दिनांक 14.05.2024 तक लगातार, 06 बिलिंग चकों के लिए आरडीएफ आधार पर, तदपश्चात् दिनांक 17.06.2024 से दिनांक 14.09.2024 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं।

विपक्षी विभाग द्वारा लगातार दो बिलिंग चकों से अधिक हेतु आरडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी करते हुए, मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें।

परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर, पूर्व में स्थापित मीटर संख्या-एल18801 को, दोषपूर्ण हो जाने पर, मीटर संख्या-यू835023 द्वारा दिनांक 26.08.2024 को प्रतिस्थापित किया गया है। परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर मीटर संख्या-एल18801 को दिनांक 26.08.2023 को प्रतिस्थापित किए जाने के उपरांत भी, दिनांक 09.11.2023 को जारी विद्युत बिल में मीटर रीडिंग 5237 केडब्लूएच दर्शायी गई है जो कि सही प्रतीत नहीं होती है। दिनांक 26.08.2023 को नये मीटर संख्या-यू835023 को स्थापित किए जाने के उपरांत भी दिनांक 30.12.2023 से दिनांक 14.05.2024 तक आरडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं जो कि सही प्रतीत नहीं होते हैं।

परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या-यू835023 पर, दिनांक 26.08.2023 से दिनांक 24.09.2024 तक, लगभग 13 माह की अवधि में कुल 697 यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त लगभग 13 माह की अवधि में, लगभग 54 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है। इसी प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 25.02.2023 से दिनांक 27.08.2023 तक, लगभग 06 माह की अवधि में कुल 334 (2999-2665) यूनिट की विद्युत खपत के बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 06 माह की अवधि में, 56 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि उक्त 54 यूनिट की तुलना में सही प्रतीत होती है, परंतु विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 03.10.2023 से दिनांक 14.05.2024 तक जारी बिलों में उक्त औसत मासिक विद्युत खपत 54/56 यूनिट की तुलना में अत्यधिक विद्युत खपत के बिल जारी किए गए हैं जो कि सही प्रतीत नहीं होते हैं।

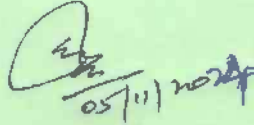
इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 5576 दिनांक 15.10.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि दिनांक 03.10.2023 से दिनांक 14.09.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 27.08.2023 से दिनांक 14.09.2024 तक की अवधि हेतु, परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-यू835023 पर दर्ज मासिक औसत विद्युत खपत-55 यूनिट के आधार पर संशोधित बिल जारी करते हुए परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

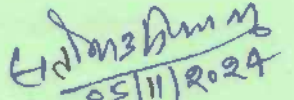
अतः उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश अनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 194/2024

दिनांक : 19.11.2024

परिवादी :- श्री विश्वकुल पुत्र श्री किरत सिंह, ग्रा० मुण्डलाना, लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री विश्वकुल पुत्र श्री किरत सिंह, ग्रा० मुण्डलाना, लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD9F291725170 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल गलत आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लण्डौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री सचिन कुमार उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया गया। मंच द्वारा मौके पर ही विपक्षी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्र संख्या 6297 दिनांकित 08.11.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या-RD9F291725170, श्री विश्वकुल पुत्र श्री किरत सिंह, ग्रा० मुण्डलाना, लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार के नाम पर निजी नलकूप उपयोग हेतु, 08 एच०पी० भार पर, दिनांक 02.11.2023 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में माननीय मंच को अवगत कराना है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली में निजी नलकूप का बिलिंग पोर्टल बन्द रहने के कारण उक्त संयोजन का बीजक पूर्व एमयू के औसत आधार पर संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रु०. 14472.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Handwritten signature

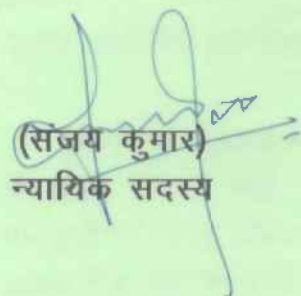
क्रमशः.....02

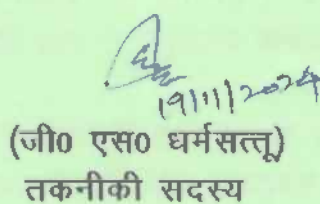
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 08 एचपी भार पर, दिनांक 02.11.2023 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 24.12.2023 को, प्रथम बिल, एनआर आधार पर जारी किया गया है। तदपश्चात्, लगभग 7.5 माह बाद, आईडीएफ आधार पर बिल जारी किया गया है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (2/4) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकी भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर निर्धारित समयावधि में बिल जारी किए जा सकें। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 6297 दिनांक 08.11.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर पर दर्ज रीडिंग के आधार पर, दिनांक 30.10.2024 तक कुल बिल की धनराशि रू० 14473.00 का संशोधित बिल, परिवादी को जारी करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

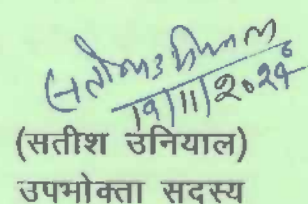
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर पर दर्ज रीडिंग के आधार पर, दिनांक 08.08.2024 तक कुल बिल की धनराशि रू० 14473.00 का संशोधित बिल, परिवादी को जारी करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 197/2024

दिनांक : 13.11.2024

परिवादी :- श्री वकील अहमद पुत्र श्री महमूद हसन, वार्ड नं० 10, लण्ढौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री वकील अहमद पुत्र श्री महमूद हसन, वार्ड नं० 10, लण्ढौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD11508073383 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके द्वारा, मीटर की रीडिंग सही करवाने हेतु चैक मीटर लगवाया था। चैक मीटर की फाईनल रिपोर्ट के बाद चैक मीटर में पुराना मीटर गलत पाया गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त रिपोर्ट के आधार पर उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लण्ढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री वकील अहमद उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपने तर्क प्रस्तुत किये। विपक्षी को, जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु, मौके पर ही नोटिस, मंच द्वारा जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 6223 दिनांकित 04.11.2024 द्वारा, मंच को अवगत कराया गया है कि आरपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD11508073383, श्री वकील अहमद पुत्र श्री महमूद हसन, वार्ड नं० 10, लण्ढौरा, रुड़की, हरिद्वार के नाम पर, घरेलू उपयोग हेतु, 01 कि०वा०, दिनांक 01.08.2000 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD11508073383 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी, लण्ढौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 1007 दिनांक 26.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 01.07.2023 को, पुराने विद्युत मापक संख्या यू468137 के सापेक्ष, चैक मीटर सं० 10347165 को फाईनल किया गया। चैक मीटर के सापेक्ष पुराना मीटर, 39 प्रतिशत तेज पाया गया। चैक मीटर के आधार पर बीजक संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या RD11508073383 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू०. 4619.00

क्रमशः.....02

धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 01 किलोवाट भार पर, दिनांक 01.08.2000 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 11.10.2024 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा जारी बिलों में दर्शायी गई विद्युत खपत की मात्रा पर आशंका व्यक्त करते हुए, परिवादी द्वारा चैक मीटर स्थापित किए जाने के संबंध में शिकायत दर्ज की गई। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 09.06.2023 को, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, चैक मीटर संख्या-10347165 स्थापित किया गया, जिसे दिनांक 01.07.2023 को फाइनल किया गया है। चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार, परिवादी का मेन मीटर संख्या-यू468137, चैक मीटर की तुलना में, 40 प्रतिशत तेज पाया गया। उक्त से स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, मीटर संख्या-यू468137 के दोषपूर्ण हो जाने के उपरांत भी, उक्त मीटर पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए गए हैं जो कि सही प्रतीत नहीं होते हैं। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 6223 दिनांक 04.11.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन के सापेक्ष, दोषपूर्ण मीटर संख्या-यू468137 पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर जारी विद्युत बिलों को, चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के आधार पर, संशोधित करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

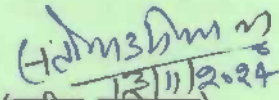
अतः उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में, मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन के सापेक्ष, दोषपूर्ण मीटर संख्या-यू468137 पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर जारी विद्युत बिलों को, चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के आधार पर, संशोधित करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की उक्त परिवाद का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


13/11/2024
(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


13/11/2024
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 206/2024

दिनांक : 13.11.2024

परिवादी :- श्री अनस पौत्र स्व० श्री मुस्तकीम, ग्राम-नगला इमरती, पोस्ट-मिलाप नगर, लंदौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री अनस पौत्र स्व० श्री मुस्तकीम, ग्राम-नगला इमरती, पोस्ट-मिलाप नगर, लंदौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD1L211113009 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका मीटर खराब हो गया था, जिसको बदलवाने के लिए उन्होंने मीटर रीडर और 1912 पर कम्पलेन भी किया। मीटर दूसरा लगाने पर उन्होंने पाया की उनके बिल में 20,000.00 रु. ज्यादा जुड़ कर आये हैं जो कि गलत है। वह बिल जमा करना चाहते हैं परन्तु गलत बिल होने के कारण वह बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंदौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री अनस उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष, अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपने तर्क प्रस्तुत किये गये। विपक्षी को, जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु, मौके पर ही नोटिस, मंच द्वारा जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 6198 दिनांकित 30.10.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD1L211113009, श्री मुस्तकीम, वास्ते श्री अनस, ग्राम-नगला इमरती, पोस्ट-मिलाप नगर, लंदौरा, रुड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु, 01 कि०वा० दिनांक 25.03.2005 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD1L211113009 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी, लण्डौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 1011 दिनांक 26.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त संयोजन के बीजक माह 11/2023 तक एमयू

क्रमशः.....02

के आधार पर बनाये गये हैं। इसके उपरान्त माह 12/2023 में एनआर तथा माह 01/2024 में आईडीएफ पर, पुराने मीटर की औसत खपत के आधार पर बनाये गये हैं। परिसर पर स्थापित पुराना विद्युत मापक संख्या 96226594 को आईडीएफ के आधार पर, नया विद्युत मापक संख्या यू972452 द्वारा, दिनांक 27.01.2024 को बदल दिया गया। उक्त संयोजन के बीजक वर्तमान में भी एमयू के आधार पर बनाये जा रहे हैं। विद्युत संयोजन संख्या RD1L211113009 के सापेक्ष अन्तिम बकाया बीजक, 23 माह पूर्व, दिनांक 09.01.2023 को भुगतान किया गया था। वर्तमान बकाया बीजक धनराशि रु०. 33478.00 है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 01 किलोवाट भार पर, दिनांक 25.03.2005 से, श्री मुस्तकीम के नाम पर गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 14.11.2023 को एमयू आधार पर बिल जारी किया गया है जिसमें, दिनांक 03.10.2023 तथा दिनांक 02.11.2023 को, एनआर आधार पर जारी बिलों का समायोजन दिया गया है। बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार दिनांक 01.01.2024 को एनआर आधार पर, दिनांक 12.01.2024 को आईडीएफ आधार पर, दिनांक 17.02.2024 को एमसी आधार पर, तदपश्चात्, दिनांक 13.04.2024 से दिनांक 12.10.2024 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 14.11.2023 को जारी बिल में, दिनांक 27.08.2023 से दिनांक 14.11.2023 तक, लगभग 2.56 माह की अवधि हेतु कुल 2439 (10650-8211) यूनिट की विद्युत खपत दर्शायी गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 2.56 माह की अवधि में, लगभग 956 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत की गई है। परिवादी द्वारा, गत वर्षों में निम्नानुसार विद्युत खपत दर्ज की गई है:-

क. सं.	अवधि		माह लगभग	विद्युत खपत	औसत मासिक खपत (लगभग यूनिट)
	से	तक			
1	02.03.2019	04.03.2020	12	4358	363
2	31.07.2020	06.03.2021	08	2863	358
3	06.03.2021	06.03.2022	12	3966	331
4	06.03.2022	27.08.2022	5.70	1400	246
5	27.08.2022	14.11.2023	2.56	2439	956
6	14.03.2023	14.11.2023	08	2662	333

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या-96226594 पर, समय-समय पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी नहीं किए गए हैं, फलस्वरूप दिनांक 14.11.2023 को जारी बिल में, औसतन 956 यूनिट प्रति माह की दर से, लगभग 2.56 माह हेतु, कुल 2439 यूनिट की विद्युत खपत का बिल जारी किया गया है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है।

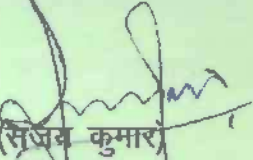
अतः उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में मंच की राय में, उपरोक्त तालिका के अनुसार, परिवादी द्वारा वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 में दर्ज की गई विद्युत खपत के परिपेक्ष्य में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 27.08.2023 से दिनांक 14.11.2023 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक

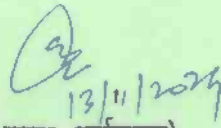
क्रमशः.....03

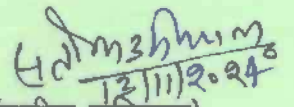
14.03.2023 से दिनांक 14.11.2023 तक की अवधि हेतु, मीटर रीडिंग(आईआर)-7988 केडब्लूएच से मीटर रीडिंग(एफआर)-10650 केडब्लूएच तक, की गई कुल विद्युत खपत 2662 (10650-7988) यूनिट के सापेक्ष, दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी द्वारा वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 में दर्ज की गई विद्युत खपत के परिपेक्ष्य में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 27.08.2023 से दिनांक 14.11.2023 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 14.03.2023 से दिनांक 14.11.2023 तक की अवधि हेतु, मीटर रीडिंग(आईआर)-7988 केडब्लूएच से मीटर रीडिंग(एफआर)-10650 केडब्लूएच तक, की गई कुल विद्युत खपत 2662 (10650-7988) यूनिट के सापेक्ष, दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


13/11/2024
(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


13/11/2024
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 215/2024

दिनांक : 26.11.2024

परिवादी :- श्री इसरार पुत्र स्व० श्री इकराम भगवानपुर चन्दनपुर, लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री इसरार पुत्र स्व० श्री इकराम, भगवानपुर चन्दनपुर, लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD1L311152179 के सन्दर्भ में कथन किया गया है उनका बहुत ज्यादा आ रहा है। उनका बिल 5 माह में रू० 8000.00 से रू० 48000.00 तक पहुंच गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा, दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लण्डौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री इसरार उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी द्वारा, परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। विपक्षी को जवाब हेतु, मंच द्वारा मौके पर ही नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्र संख्या 6406 दिनांकित 16.11.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या-RD1L311152179, श्री इमरान वास्ते श्री इसरार, भगवानपुर चन्दनपुर, लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार के नाम पर, घरेलू उपयोग हेतु, 02 कि०वा०, दिनांक 22.11.2011 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्डौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 884 दिनांक 04.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन संख्या-RD1L311152179 पर स्थापित विद्युत मीटर संख्या 685007 की एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर, बीजक को, आरएपीडीआरपी प्रणाली के माध्यम से संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या-RD1L311152179 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू०. 20510.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता द्वारा, भुगतान किया जाना अपेक्षित है। विद्युत संयोजन संख्या RD1L311152179 के बीजक का अन्तिम भुगतान, 41 माह पूर्व, दिनांक 24.06.2021 को किया गया था।

क्रमशः.....02

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02 किलोवाट भार पर, दिनांक 22.11.2011 से श्री इमरान के नाम पर गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 01.12.2023 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 10.02.2024 तक, लगातार, 03 बिलिंग चक्रों के लिए, आरडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 10.02.2024 के पश्चात, माह 07/2024 तक, 05 बिलिंग चक्रों हेतु निर्धारित समयावधि में बिल जारी नहीं किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, लगातार 02 बिलिंग चक्रों से अधिक बार अनंतिम बिल जारी करते हुए तथा लगातार 05 बिलिंग चक्रों हेतु बिल जारी न किए जाने के परिणामस्वरूप, मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत, प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (2/4/7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, निर्धारित समयावधि में, बिल जारी किए जा सकें।

परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-685007 पर मीटर रीडिंग-8878 केडब्लूएच पाई गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 01.12.2023 को जारी बिल में, मीटर रीडिंग (एफआर) 10906 केडब्लूएच दर्शायी गई है। उक्त से स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 01.12.2023 से दिनांक 10.02.2024 तक, त्रुटिपूर्ण मीटर रीडिंग के आधार पर, अधिक विद्युत खपत तथा आंकलन के आधार पर अनंतिम बिल जारी किए गए हैं। बिलिंग हिस्ट्री तथा एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार परिवादी द्वारा दिनांक 20.10.2023 से दिनांक 27.08.2024 तक, लगभग 10.23 माह की अवधि में कुल 210 (8878-8668) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त 10.23 माह की अवधि हेतु, गलत मीटर रीडिंग तथा अनंतिम बिल के सापेक्ष निर्धारण के आधार पर, कुल 14272 यूनिट के बिल जारी किए गए हैं जो कि परिवादी द्वारा की गई वास्तविक विद्युत खपत-210 यूनिट की तुलना में, 6696.19 प्रतिशत अधिक है जिसे किसी भी दशा में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसी कम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 6406 दिनांक 16.11.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के संयोजन के सापेक्ष, दिनांक 01.12.2023 से दिनांक 10.02.2024 तक जारी बिलों को निरस्त करते हुए, प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-685007 पर दर्ज मीटर रीडिंग-8878 केडब्लूएच के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 01.12.2023 से दिनांक 10.02.2024 तक जारी बिलों को निरस्त करते हुए, प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-685007 पर, दिनांक 27.08.2024 को दर्ज मीटर रीडिंग-8878 केडब्लूएच के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट-- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत),

२२, जवाहर नगर, फतेहगढ़, हरिद्वार में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 221/2024

दिनांक : 13.11.2024

परिवादी :- श्रीमती आसमा पत्नी श्री मेहरबान, अड़डे वाली मस्जिद, नियर बी०एस०एन०एल० टावर,
पोस्ट-लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

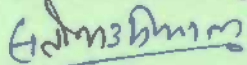
निर्णय

परिवादिनी श्रीमती आसमा पत्नी श्री मेहरबान, अड़डे वाली मस्जिद, नियर बी०एस०एन०एल० टावर, पोस्ट-लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा नये विद्युत संयोजन के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उन्होंने दिनांक 06.06.2024 को नये विद्युत कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था, जिसका रजिस्ट्रेशन नं०- 526060724006 है। उनका अब तक विद्युत कनेक्शन नहीं हुआ है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका विद्युत कनेक्शन करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लण्डौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री मेहरबान उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादिनी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी द्वारा, परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। विपक्षी को, जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु, मौके पर ही नोटिस, मंच द्वारा जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा, पत्र संख्या 6199, दिनांकित 30.10.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्डौरा के कार्यालय पत्रांक 1004 दिनांक 26.10.2024 के अनुसार, शिकायतकर्ता श्रीमती आसमा पत्नी श्री मेहरबान के द्वारा दिये गये नये विद्युत संयोजन के आवेदन का पंजीकरण, दिनांक 06.07.2024 को करते हुए, पंजीकरण नं० 526090824004 जारी किया गया। उक्त पंजीकरण के सापेक्ष अवर अभियन्ता द्वारा निरीक्षण के दौरान आवेदक का परिसर न मिलने के कारण आवेदन निरस्त कर दिया गया। शिकायतकर्ता द्वारा पुनः आवेदन



क्रमशः.....02

किये जाने पर, पंजीकरण संख्या 526180924001 जारी किया गया, जिस पर आवेदक द्वारा संयोजन हेतु रु०. 2200.00 धनराशि जमा किये जाने के उपरान्त, विद्युत मापक संख्या जीयू427754, शिकायतकर्ता श्रीमती आसमा पत्नी श्री मेहरबान के परिसर पर स्थापित कर, दिनांक 22.10.2024 को संयोजन संख्या आरडी11506468694 को ऊर्जाकृत कर दिया गया है।

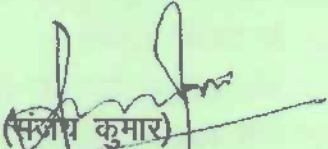
मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

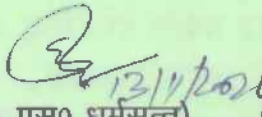
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी द्वारा, घरेलू श्रेणी के अंतर्गत, 02 किलोवाट विद्युत भार पर, संयोजन निर्गत किए जाने हेतु प्रेषित आवेदन को, विपक्षी विभाग द्वारा पंजीकरण संख्या-526060724006 के माध्यम से दिनांक 06.07.2024 को पंजीकृत किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्रेशन डिटेल व्यू डाक्यूमेंट के अनुसार, परिवादिनी का उक्त पंजीकरण, आवेदन पर उल्लेखित पता/परिसर ट्रेस न हो पाने के कारण, दिनांक 27.07.2024 को निरस्त किया गया है। परिवादिनी द्वारा दिनांक 14.08.2024 को आयोजित शिविर में, विद्युत संयोजन हेतु प्रेषित आवेदन पर कोई कार्यवाही, विपक्षी विभाग द्वारा न किए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई। मंच द्वारा मौके पर ही, विपक्षी को जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया परन्तु विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब में, परिवादिनी को विद्युत संयोजन निर्गत किये जाने हेतु किये गये प्रयासों का उल्लेख नहीं किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी के आवेदन पर दर्ज मोबाइल नंबर पर सम्पर्क करते हुए, आवेदन में मौजूद कमियों जैसे पता आदि को पूर्ण कराया जा सकता था परन्तु विपक्षी विभाग द्वारा ऐसा न करते हुए, मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 3.3.3 का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को ससमय नियमानुसार संयोजन जारी किए जा सकें। परिवादिनी द्वारा विद्युत संयोजन हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे विपक्षी विभाग द्वारा पंजीकरण संख्या-526180924001 के माध्यम से दिनांक 18.09.2024 को पंजीकृत किया गया है। परिवादिनी द्वारा नये संयोजन हेतु वांछित शुल्क का भुगतान दिनांक 05.10.2024 को किया गया है। तदपश्चात विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी के परिसर पर दिनांक 22.12.2014 को विद्युत संयोजन निर्गत किया गया है।

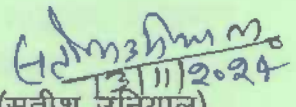
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी को घरेलू श्रेणी के अंतर्गत, 02 किलोवाट विद्युत भार पर, विद्युत संयोजन निर्गत करते हुए परिवादिनी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादिनी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान करने के फलस्वरूप परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत),

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 226/2024

दिनांक : 05.11.2024

परिवादी :- श्री सददाम पुत्र श्री रोढ़ा हसन, नियर तेलियों वाली मस्जिद, ग्राम-भगवानपुर चन्दनपुर,
पोस्ट-लढौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री सददाम पुत्र श्री रोढ़ा हसन, नियर तेलियों वाली मस्जिद, ग्राम-भगवानपुर चन्दनपुर, पोस्ट-लढौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD1L311834316 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका मीटर, चैक मीटर के आधार पर चेंज किया गया था। पुराना मीटर नं० यू352634 था और नया मीटर नं० यू972403 है, जिसको अब तक भी एडवाइस नहीं किया गया है, जिसके कारण उनका बिल आरडीएफ में रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री सलमान उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर ही विपक्षी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 5755 दिनांकित 21.10.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या-RD1L311834316, श्री सददाम पुत्र श्री रोढ़ा हसन के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु, 02 कि०वा०, दिनांक 18.01.2020 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लढौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 887 दिनांक 04.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि संयोजन संख्या RD1L311834316 पर स्थापित विद्युत मापक संख्या यू352643 के सापेक्ष चैक मीटर संख्या यू972403 को पुराना मीटर 983 प्रतिशत तेज/खराब पाये जाने के कारण परीक्षणशाला रुड़की द्वारा दिनांक 07.02.2024 को फाइनल किया गया है। चैक मीटर की रीडिंग के आधार पर बीजक को संशोधित कर

क्रमशः.....02

दिया गया है। उक्त विद्युत संयोजन का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू०. 23006.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा दिनांक 19.10.2024 को भुगतान कर दिया गया है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

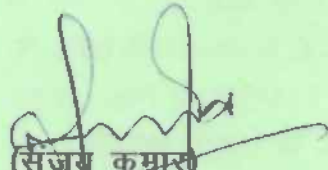
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर दिनांक 18.01.2020 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 15.01.2024 तक एमयू आधार पर, दिनांक 20.02.2024 एवं दिनांक 14.03.2024 को आरडीएफ आधार पर, दिनांक 16.04.2024 को एमसी आधार पर तथा दिनांक 12.07.2024 से दिनांक 18.10.2024 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 25.12.2023 तथा दिनांक 15.01.2024 को जारी बिलों में, कमशः 1322 तथा 2774 यूनिट की विद्युत खपत दर्शायी गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा दिनांक 19.11.2023 से दिनांक 15.01.2024 तक, लगभग 02 माह की अवधि में, औसतन 2048 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि पूर्व में जारी बिलों में दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत की तुलना में अत्यधिक है जो कि सही प्रतीत नहीं होती है।

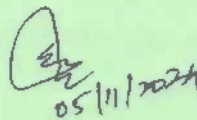
परिवादी के संयोजन पर स्थापित चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार, परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या-यू352643, 983 प्रतिशत तेज पाया गया है। उक्त मीटर संख्या-यू352643 के दोषपूर्ण हो जाने के फलस्वरूप, दिनांक 07.02.2024 को, मीटर संख्या-यू972403 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि दोषपूर्ण मीटर संख्या-यू352643 पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर, दिनांक 25.12.2023 तथा दिनांक 15.01.2024 को जारी बिलों में अत्यधिक विद्युत खपत दर्शायी गई है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 5755 दिनांक 21.10.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि दोषपूर्ण मीटर संख्या-यू352643 के सापेक्ष जारी बिलों को नियमानुसार संशोधित करते हुए, परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

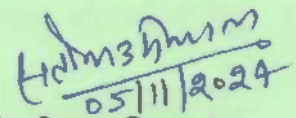
अतः उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


05/11/2024
(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


05/11/2024
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 227 / 2024

दिनांक : 26.11.2024

परिवादी :- श्रीमती जमिला पत्नी श्री ताहिर, ग्रा० जैनपुर झंझेड़ी, लण्ढौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

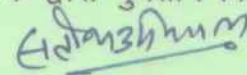
निर्णय

परिवादिनी श्रीमती जमिला पत्नी श्री ताहिर, ग्रा० जैनपुर झंझेड़ी, लण्ढौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD2L421154421 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल बहुत दिनों से खराब चला आ रहा है। उनके मीटर में रीडिंग कम है और बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लण्ढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री अब्दुल रहीम उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादिनी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी द्वारा, परिवादिनी की उक्त शिकायत के बारे में अपने तर्क प्रस्तुत किये गये। विपक्षी को जवाब हेतु, मंच द्वारा मौके पर ही नोटिस जारी किया गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा, पत्र संख्या 6405 दिनांकित 16.11.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या-RD2L421154421, श्रीमती जमिला पत्नी श्री ताहिर, ग्रा० जैनपुर झंझेड़ी, लण्ढौरा, रुड़की, हरिद्वार के नाम पर, घरेलू उपयोग हेतु, 01 कि०वा०, दिनांक 21.07.2015 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्ढौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 906 दिनांक 07.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन संख्या-RD2L421154421 पर स्थापित विद्युत मीटर संख्या 50575701 में वर्तमान रीडिंग 5622 कंडब्लूएच के आधार पर बीजक को, आरएपीडीआरपी प्रणाली के माध्यम से संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या-RD2L421154421 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू०. 8136.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।



क्रमशः.....02

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

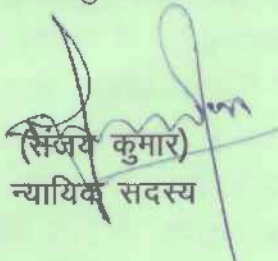
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन, 01 किलोवाट भार पर, दिनांक 21.07.2015 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 20.10.2022 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 23.12.2022 से दिनांक 19.07.2024 तक, लगातार लगातार 17 बिलिंग चक्रों के लिए आरडीएफ के आधार पर बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, लगातार 2 बिलिंग चक्रों से अधिक बार अनंतिम बिल जारी करते हुए, मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकी भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें।

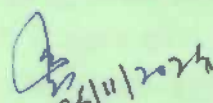
परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-50575701 के सापेक्ष, विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, उक्त मीटर पर दिनांक 13(22).08.2024 को, मीटर रीडिंग-5622 केडब्लूएच पाई गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 20.10.2022 को जारी बिल में, मीटर रीडिंग (एफआर) 14843 केडब्लूएच दर्शायी गई है। उक्त से स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 20.10.2022 से दिनांक 13.08.2024 तक, त्रुटिपूर्ण मीटर रीडिंग के आधार पर, अधिक विद्युत खपत तथा आंकलन के आधार पर अनंतिम बिल जारी किए गए हैं। बिलिंग हिस्ट्री तथा एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार परिवादिनी द्वारा दिनांक 20.08.2022 से दिनांक 13.08.2024 तक, लगभग 24 माह की अवधि में कुल 907 (5622-4715) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त 24 माह की अवधि हेतु, गलत मीटर रीडिंग तथा अनंतिम बिल के सापेक्ष निर्धारण के आधार पर, कुल 3255 यूनिट के बिल जारी किए गए हैं जो कि परिवादिनी द्वारा की गई वास्तविक विद्युत खपत-907 यूनिट की तुलना में, 258.87 प्रतिशत अधिक है जिसे किसी भी दशा में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसी कम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 6405 दिनांक 16.11.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादिनी के संयोजन के सापेक्ष, दिनांक 23.12.2022 से दिनांक 13.08.2024 तक जारी बिलों को निरस्त करते हुए, प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-50575701 पर, दिनांक 13(22).08.2024 को दर्ज पायी गई मीटर रीडिंग-5622 केडब्लूएच के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

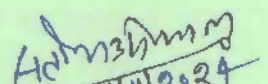
अतः उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 23.12.2022 से दिनांक 13.08.2024 तक जारी बिलों को निरस्त करते हुए, प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-50575701 पर, दिनांक 13(22).08.2024 को दर्ज पायी गई मीटर रीडिंग-5622 केडब्लूएच के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादिनी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


26/11/2024
(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


26/11/2024
(सतीश चहल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 235/2024

दिनांक : 26.11.2024

परिवादी :- श्री नूर अहमद पुत्र पीर मोहम्मद, जैनपुर झंझौड़ी, लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री नूर अहमद पुत्र श्री पीर मोहम्मद, जैनपुर झंझौड़ी, लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या--RD9L491723897 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनको एक माह में दो बार, एसएमएस द्वारा विद्युत बिल प्राप्त हुआ। पहला बिल माह जून को, रू० 53,818.00 तथा दूसरा बिल भी माह जून 2024 को, रू० 1,78,620.00 का प्राप्त हुए। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लण्डौरा में, विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए, शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री आसिफ अली उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। विपक्षी को जवाब हेतु, मंच द्वारा मौके पर ही नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्र संख्या 6403 दिनांकित 16.11.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार, विद्युत संयोजन संख्या--RD9L491723897, श्री नूर अहमद पुत्र पीर मोहम्मद, जैनपुर झंझौड़ी, लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार के नाम पर, निजी नलकूप उपयोग हेतु, 10 एच०पी०, दिनांक 20.10.2019 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में माननीय मंच को अवगत कराना है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली में, निजी नलकूप कर बिलिंग पोर्टल बन्द रहने के कारण उक्त संयोजन का बीजक, पूर्व एमयू के औसत आधार पर संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या- RD9L491723897 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू०. 44254.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है। क्रमशः.....02

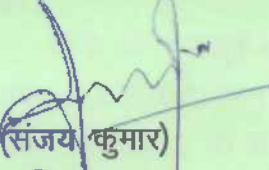
मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

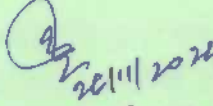
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 10 एच०पी० भार पर, दिनांक 20.10.2019 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 30.12.2023 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तदपश्चात् दिनांक 08.08.2024 को, कुल 67259 यूनिट की विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए, आईडीएफ आधार पर बिल जारी किया गया है जिसे परिवादी द्वारा पूर्व में निर्गत बिलों की तुलना में अत्यधिक बताते हुए विवादित ठहराया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 02.07.2022 से दिनांक 30.12.2023 तक, लगभग 17.93 माह की अवधि हेतु, कुल 53218 (87176-33958) यूनिट की विद्युत खपत के बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार परिवादी द्वारा, लगभग 17808 यूनिट प्रति छह माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि दिनांक 08.08.2024 को, दिनांक 30.12.2023 से दिनांक 08.08.2024 तक लगभग 7.26 माह की अवधि हेतु जारी बिल में, निर्धारण के आधार पर दर्शायी गई विद्युत खपत 67259 यूनिट के सापेक्ष 06 मासिक औसत विद्युत खपत 55586 की तुलना में 67.96 प्रतिशत कम है। उक्त से स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 08.08.2024 को जारी बिल में, निर्धारण के आधार पर दर्शायी गई विद्युत खपत, पूर्व के तीन बिलिंग चक्रों की अवधि लगभग 17.93 माह में की गई वास्तविक विद्युत खपत के सापेक्ष दर्ज 06 माह में दर्ज औसत खपत के आधार पर जारी नहीं किया गया है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है। इसी कम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 6403 दिनांक 16.11.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि दिनांक 08.08.2024 को जारी अनंतिम बिल को निरस्त करते हुए, परिवादी द्वारा, पूर्व में दर्ज, वास्तविक औसत विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

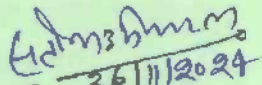
अतः उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 08.08.2024 को जारी अनंतिम बिल को निरस्त करते हुए, परिवादी द्वारा, पूर्व में दर्ज, वास्तविक औसत विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान करने के फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


(सतीश चनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 239/2024

दिनांक : 26.11.2024

परिवादी :- श्री इकराम पुत्र श्री कबीरा, भगवानपुर चन्दनपुर, लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

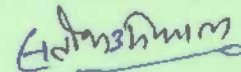
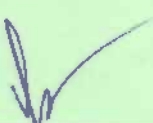
परिवादी श्री इकराम पुत्र श्री कबीरा, भगवानपुर चन्दनपुर, लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD1L311151228 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा, दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लण्डौरा में, विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री इकराम उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपने तर्क प्रस्तुत किये गये। विपक्षी को जवाब हेतु, मंच द्वारा मौके पर ही नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा, पत्र संख्या 6402 दिनांकित 16.11.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या-RD1L311151228, श्री इकराम पुत्र श्री कबीरा, भगवानपुर चन्दनपुर, लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार के नाम पर, घरेलू उपयोग हेतु, 02 कि०वा०, दिनांक 12.01.2010 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्डौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 1064 दिनांक 08.11.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक संख्या यू416925 के सापेक्ष चैक मीटर संख्या यू972400 को विद्युत परीक्षणशाला रुड़की द्वारा दिनांक 07.02.2024 को फाइनल किया गया। चैक मीटर के सापेक्ष पुराने मीटर में 895 प्रतिशत तेज/खराब पाया गया। विद्युत संयोजन संख्या-RD1L311151228 का बीजक चैक मीटर के आधार पर संशोधित कर दिया गया है। उक्त संयोजन का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रु०. 5870.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।



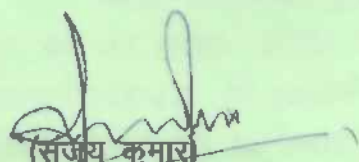
क्रमशः.....02

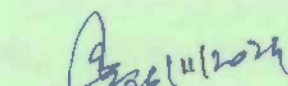
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02 कि०वा० भार पर, दिनांक 12.01.2010 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 15.10.2024 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 15.12.2023 को जारी बिल में, दिनांक 24.11.2023 से दिनांक 15.12.2023 तक लगभग 21 दिनों की अवधि हेतु, कुल 916 (1823-907) यूनिट, विद्युत खपत के बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 21 दिनों में दर्ज विद्युत खपत के सापेक्ष, लगभग 1309 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत दर्ज किए जाने की संभावना बनती है। विपक्षी विभाग द्वारा पूर्व में, दिनांक 07.01.2023 से दिनांक 14.07.2023 तक, लगभग 6.23 माह की अवधि हेतु, कुल 169 (907-738) यूनिट विद्युत खपत के बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 6.23 माह में, लगभग 27 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि उक्त 1309 यूनिट प्रतिमाह की तुलना में, 97.93 प्रतिशत कम है। इसी परिपेक्ष में, परिवादी की शिकायत पर, प्रश्नगत संयोजन पर चैक मीटर संख्या-यू972400, दिनांक 16.01.2024 को स्थापित किया गया है जिसे दिनांक 07.02.2024 को फाइनल किया गया है। चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार, परिवादी के संयोजन पर स्थापित मेन मीटर संख्या-यू416925, चैक मीटर की तुलना में 8957.00 प्रतिशत तेज पाया गया है। उक्त से स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा दोषपूर्ण मीटर संख्या-यू416925 पर दर्ज त्रुटिपूर्ण खपत के आधार पर बिल जारी किए गए हैं जो कि सही प्रतीत नहीं होते हैं। इसी कम में, विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 6402 दिनांक 16.11.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के संयोजन पर स्थापित चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए, दोषपूर्ण मीटर संख्या-यू416925 के सापेक्ष जारी बिलों को नियमानुसार संशोधित करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि, विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

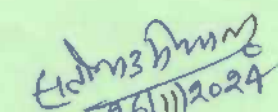
अतः उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के संयोजन पर स्थापित चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए, दोषपूर्ण मीटर संख्या-यू416925 के सापेक्ष जारी बिलों को नियमानुसार संशोधित करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर देने के फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(सजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 240/2024

दिनांक : 06.11.2024

परिवादी :- श्री सुलतान पुत्र श्री मंगता हसन, ग्रा० बिझोली, लण्ढौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभिन्यन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

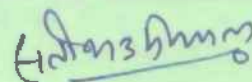
निर्णय

परिवादी श्री सुलतान पुत्र श्री मंगता हसन, ग्रा० बिझोली, लण्ढौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD2L222114699 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके दो कनेक्शन हैं एक घर का है और एक बैठक का घर का है। घर का जिसमें पशु रहते हैं, घर का कनेक्शन 02 कि०वा० का है और घर का 01 कि०वा० का है। जो दो किलावाट का है उसका आनलाईन उनका बिल फाईनल है। इसके विवाद की वजह से 28.01.2021 में रू० 11560.00 जमा किया गया था। उसके बाद कोई बिल नहीं आया। फिर 3 साल बाद रू० 96000.00 का बिल आया, अब फिर बिल आना बन्द हो गया। अतः मंच से अनुरोध है कि छः माह का पिछला रिकार्ड देखकर उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लण्ढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री सुलतान उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभिन्यन्ता ने अपने पत्र संख्या 5259 दिनांकित 04.10.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD2L222114699, श्री सुलतान पुत्र श्री मंगता हसन, ग्राम-बिझोली, लण्ढौरा, तहसील-रुड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु, 01 कि०वा०, दिनांक 23.02.2006 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD2L222114699 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी, लण्ढौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 774 दिनांक 10.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन सं० RD2L222114699 पर दिनांक



क्रमशः.....02

25.12.2023 को चैक मीटर सं० यू784062 स्थापित किया गया। चैक मीटर के सापेक्ष पुराना मीटर में -3 प्रतिशत अन्तर पाया गया है। दिनांक 22.08.2024 को विद्युत मापक सं० यू784062 की रीडिंग 3881 केडब्ल्यूएच है। बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या RD2L222114699 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू० 145267.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है। उपभोक्ता द्वारा अन्तिम बीजक भुगतान दिनांक 28.01.2021 को किया गया था।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 01 किलोवाट भार पर दिनांक 23.02.2006 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 10.12.2023 तक एमयू आधार पर, दिनांक 01.02.2024 को एमसी आधार पर तदपश्चात् 08 माह बाद एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा पूर्व में भी, दिनांक 04.09.2021 के पश्चात् लगभग 21 माह बाद दिनांक 24.06.2023 को बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा निर्धारित बिलिंग चक्रों के सापेक्ष बिल जारी न करते हुए, मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (2/4) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को निर्धारित समय पर वास्तविक विद्युत खपत के बिल जारी किए जा सकें।

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, गत वर्षों में निम्नानुसार विद्युत खपत के बिल परिवादी को जारी किए गए हैं:-

अवधि से तक		माह (लगभग)	कुल विद्युत खपत (यूनिट में)	औसत मासिक खपत (लगभग) (यूनिट में)
08.02.2016	10.02.2017	12	1116	93
10.02.2017	07.02.2018	12	3041	254
07.02.2018	06.04.2019	14	3120	251
06.04.2019	10.08.2019	04	2511	628
28.02.2020	24.06.2023	40	14377	359
24.06.2023	10.12.2023	06	3302	550
25.12.2023	02.10.2024	09	4264	474

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर पर समय-समय पर दर्ज विद्युत खपत/रीडिंग के बिल जारी नहीं किए गए हैं। फलस्वरूप दिनांक 24.06.2023 को जारी बिल में, दिनांक 29.10.2020 से दिनांक 24.06.2023 तक की अवधि में की गई विद्युत खपत 14135 यूनिट का बिल जारी किया गया है। उपरोक्त अवधि में गतिमान मीटर पर दर्ज कुल विद्युत खपत के आधार पर परिवादी द्वारा निम्नानुसार विद्युत खपत की गई है:-

क्रमशः.....03

मीटर संख्या	अवधि से तक		माह (लगभग)	कुल विद्युत खपत (यूनिट में)	औसत मासिक खपत (लगभग) (यूनिट में)
1	08.02.2016	10.08.2019	42	7988	233
2 (यू223908)	28.02.2020	10.12.2023	45	9788	218
3(यू784062)	25.12.2023	02.09.2024	09	4260	473

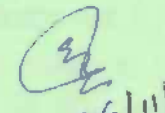
उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा दिनांक 08.02.2016 से दिनांक 10.12.2023 तक, लगभग समान औसत दर से विद्युत खपत की गई है। परिवादी द्वारा वर्तमान में उक्त औसत दर (233/218) के दोगुना से भी अधिक औसत दर से विद्युत खपत की जा रही है। उक्त अधिक खपत के विरुद्ध शंका समाधान के लिए परिवादी मीटर की शुद्धता जांच के लिए विपक्षी के कार्यालय में चैक मीटर हेतु आवेदन कर सकता है। उपरोक्तानुसार आगणित औसत विद्युत खपत के सापेक्ष, परिवादी के बिलों में दर्शायी गई खपत/रीडिंग सही प्रतीत होती है।

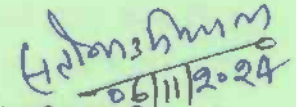
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को जारी बिलों में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अतः परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


06/11/2024
(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


06/11/2024
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 242 / 2024

दिनांक : 06.11.2024

परिवादी :- श्री संजीव कुमार पुत्र अन्तु, ग्राम-गाधारोना, पोस्ट-लण्ढौरा, तहसील-रूड़की, जिला-हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

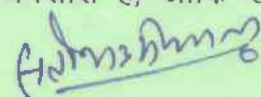
निर्णय

परिवादी श्री संजीव कुमार पुत्र अन्तु, ग्राम-गाधारोना, पोस्ट-लण्ढौरा, तहसील-रूड़की, जिला-हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD2L125000155 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके द्वारा फरवरी में बिल जमा किया गया था, फिर मई में जमा किया था परन्तु ऐडिशनल बिल जुड़कर ही दिखा रहा है। बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लण्ढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री जगदीश उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादिनी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 5957 दिनांकित 26.10.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD2L125000155 श्री जगदीश पुत्र अन्तु, ग्राम-गाधारोना, पोस्ट-लण्ढौरा, तहसील-रूड़की, जिला-हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु, 01 कि०वा०, दिनांक 01.01.1999 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD2L125000155, के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी, लण्ढौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 997 दिनांक 24.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता द्वारा विद्युत संयोजन के बीजक माह 02/2024 की जमा की गयी धनराशि रू० 7260.00 माह 02/2024 में ही सभायोजित कर दी गयी थी। विद्युत संयोजन संख्या RD2L125000155 बकाया बीजक रू० 3,920.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।



क्रमशः.....02

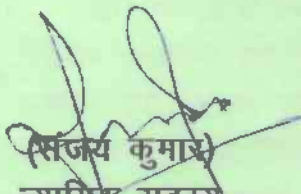
मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

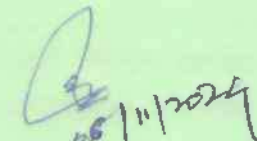
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 01 किलोवाट भार पर दिनांक 01.01.1999 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 20.06.2024 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तदपश्चात दिनांक 30.08.2024 एवं दिनांक 21.10.2024 को आईडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 30.08.2024 तथा दिनांक 21.10.2024 को आईडीएफ आधार पर जारी बिलों में निर्धारण के आधार पर, 346 यूनिट की विद्युत खपत दर्शायी गई है। परिवादी द्वारा, पूर्व में, एमयू आधार पर जारी तीन बिलों में दर्ज विद्युत खपत के अनुसार दिनांक 12.03.2024 से दिनांक 20.06.2024 तक लगभग 3.26 माह की अवधि में, 520 (12355-11835) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 3.26 माह की अवधि में लगभग 160 यूनिट प्रतिमाह की औसत दर से विद्युत खपत की गई है। अतः विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 30.08.2024 तथा दिनांक 21.10.2024 को जारी बिलों में दर्शायी गई, निर्धारित विद्युत खपत सही प्रतीत होती है। बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार परिवादी द्वारा जमा की गई बिल की धनराशि रु० 7260.00 दिनांक 23.02.2024, रु० 740.00 दिनांक 19.03.2024, रु० 826.00 दिनांक 16.05.2024 तथा रु० 715.00 दिनांक 10.06.2024 का समायोजन परिवादी के संयोजन संबंधी खाते में प्रदान किया गया है।

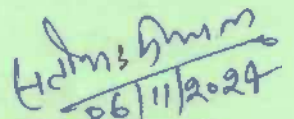
अतः उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को जारी बिलों में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अतः परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


(सतीश चनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 244/2024

दिनांक : 13.11.2024

परिवादी :- श्री नीटू पुत्र श्री श्यामाबन, ग्रा० गाधारौणा, लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री नीटू पुत्र श्री श्यामाबन, ग्रा० गाधारौणा, लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD2L125154879 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल मीटर रीडिंग से अधिक दिया जा रहा है। उनके द्वारा लण्डौरा कार्यालय में भी पूर्व में प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन कुछ कार्यवाही नहीं की गई। माह 11/2023 से बिल खराब चला आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लण्डौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री युवराज उपरिथत हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी द्वारा परिवादिनी की उक्त शिकायत के बारे में अपने तर्क प्रस्तुत किये गये। विपक्षी को, जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु, मौके पर ही नोटिस, मंच द्वारा जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 6200, दिनांकित 30.10.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि आरपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD2L125154879, श्री नीटू पुत्र श्री श्यामाबन, ग्रा० गाधारौणा, लण्डौरा, रुड़की, हरिद्वार के नाम पर अघरेलू उपयोग हेतु, 01 कि०वा०, दिनांक 12.09.2015 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD2L125154879 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी, के कार्यालय पत्रांक 1009 दिनांक 26.10.2024 के अनुसार, उक्त संयोजन के बीजक माह 11/2023 तक एमयू के आधार पर बनाये गये हैं। इसके उपरान्त माह 12/2023 से 02/2024 तक एनआर तथा माह 03/2024 से 04/2024 तक आइडीएफ पर, पुराने मीटर की औसत खपत के आधार पर बनाये गये हैं। परिसर पर स्थापित पुराना विद्युत मापक

क्रमशः.....02

संख्या जी०२१४४८ को, आईडीएफ के आधार पर नया विद्युत मापक संख्या जीयू११५५८१ द्वारा दिनांक १०.०५.२०२४ को बदल दिया गया। उक्त संयोजन के बीजक वर्तमान में भी एमयू के आधार पर बनाये जा रहे हैं। विद्युत संयोजन संख्या RD2L125154879 के सापेक्ष अन्तिम बकाया बीजक, १६ माह पूर्व, दिनांक ०३.०७.२०२३ को भुगतान किया गया था। वर्तमान बकाया बीजक धनराशि रू०. ३२४३५.०० है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन ०१ किलोवाट भार पर दिनांक १२.०९.२०१५ से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा वर्तमान में एमयू आधार पर बिल जारी किए जा रहे हैं। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक ०१.०१.२०२४ से दिनांक २५.०४.२०२४ तक, लगातार ०५ बिलिंग चक्रों के लिए, एनआर/आईडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, २०२० के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय ५.२.१ (७) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को नियमानुसार बिल जारी किए जा सकें।

विपक्षी विभाग द्वारा गत वर्षों में निम्नानुसार बिल जारी किए गए हैं:-

क्र. सं.	मीटर सं०	अवधि		माह लगभग	विद्युत खपत	औसत मासिक खपत (लगभग यूनिट)
		से	तक			
१	जी०२१४४८२	१२.०२.२०१९	०५.०२.२०२०	१२	१०३४	८६
२		०५.०२.२०२०	१०.०२.२०२१	१२	२८६	२४
३		१०.०२.२०२१	२४.०२.२०२२	१२.४६	६५५	५३
४		२४.०२.२०२२	१४.०२.२०२३	११.६६	७५७	६५
५		१४.०२.२०२३	१४.०६.२०२३	१६	६९०	४३
६		१४.०६.२०२३	१६.११.२०२३	०५	२३६३	४७३
७		२४.०२.२०२२	१६.११.२०२३	२०.७३	३८१०	१८४
८	जीयू११५५८१	१०.०५.२०२४	२५.१०.२०२४	५.५	१११९	२०३

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्रमांक ७ पर आगणित औसत विद्युत खपत १८४ यूनिट प्रतिमाह, वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या-जीयू११५५८१ पर दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत (क्रमांक ८) के सापेक्ष सही प्रतीत होता है तथा उपरोक्त विवरण से यह भी स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा मीटर संख्या-जी०२१४४८२ पर, समय-समय पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर, बिल जारी नहीं किए गए हैं फलस्वरूप, दिनांक १४.०६.२०२३ से दिनांक १६.११.२०२३ तक, ०५ माह की अवधि में, औसतन ४७३ यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत बिल जारी किए गए हैं जो कि पूर्व में दर्ज उक्त औसत मासिक खपत ८६,

(हस्ताक्षर) क्रमशः.....०३

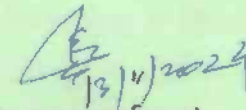
24, 53, 65 एवं 43 यूनिट के सापेक्ष क्रमशः 450 प्रतिशत, 1871 प्रतिशत, 792 प्रतिशत, 628 प्रतिशत एवं 1000 प्रतिशत अधिक है जो कि सही प्रतीत नहीं होती है। परिवादी द्वारा वर्तमान में, उक्त तालिका के अनुसार 203 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की जा रही है।

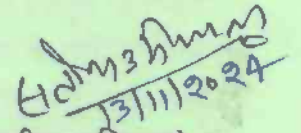
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को दिनांक 09.04.2022 से दिनांक 16.11.2023 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 24.02.2022 से दिनांक 16.11.2023 तक की अवधि हेतु, मीटर रीडिंग (आईआर) 3188 केडब्लूएच से मीटर रीडिंग (एफआर) 6998 केडब्लूएच तक की गई कुल विद्युत खपत 3810 केडब्लूएच के सापेक्ष, दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल, परिवादी को जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 09.04.2022 से दिनांक 16.11.2023 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 24.02.2022 से दिनांक 16.11.2023 तक की अवधि हेतु, मीटर रीडिंग (आईआर) 3188 केडब्लूएच से मीटर रीडिंग (एफआर) 6998 केडब्लूएच तक की गई कुल विद्युत खपत 3810 केडब्लूएच के सापेक्ष, दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल, परिवादी को जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 258/2024

दिनांक : 05.11.2024

परिवादी :- श्री रोशनदीन पुत्र श्री तारुदीन, निवासी-प्लाट नं० 293, सेक्टर-08, गुज्जर बस्ती, गैण्डीखाता, जिला-हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री रोशनदीन पुत्र श्री तारुदीन, निवासी-प्लाट नं० 293, सेक्टर-08, गुज्जर बस्ती, गैण्डीखाता, जिला-हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या 6911333462623 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि श्री रोशनदीन पुत्र श्री तारुदीन, गुज्जर बस्ती, गैण्डीखाता, हरिद्वार का निवासी है। जब से उनके यहां कनेक्शन लगा है तब से उनको कोई भी बिल प्राप्त नहीं हुआ है। उनको दिनांक 21.05.2024 को बिल प्राप्त हुआ जो कि सीधा रू०. 28144.00 का विभाग द्वारा भेज दिया गया। यह बिल सरासर गलत है जिसको एक साथ भेज दिया गया है। उनकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है जो कि इतना अधिक बिल भर सके। यह सब विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण हो रहा है जिस वजह से वह अपना विद्युत बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 2581 दिनांकित 15.10.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि वादी श्री रोशनदीन पुत्र श्री तारुदीन के विद्युत संयोजन सं०-6911333462623, विद्युत भार-2 किलोवाट पर स्थापित मीटर नं० यू423719 है, जोकि पूर्व में एच०ई० 151414 को दिनांक 31.08.2021 को मैक न० परिवर्तन किया गया। यह है कि शिकायतकर्ता को अधिक धनराशि के विद्युत बीजक प्राप्त हुए। जिसमें बिलिंग हिस्ट्री का अवलोकन करते हुए उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, भूपतवाला को इस कार्यालय द्वारा पत्र प्रेषित किया गया। उक्त के अनुपालन में उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, भूपतवाला ने अपने कार्यालय पत्रांक सं० 575, दिनांक में अवगत कराया है कि उपरोक्त मीटर विद्युत संयोजन निर्गत किये जाने के समय से ही स्थापित है। उक्त में उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, भूपतवाला के पत्र का अवलोकन करते हुए शिकायतकर्ता का विद्युत बीजक संशोधन किया गया है। जिसकी संशोधन धनराशि रू० 23,992.00 प्रस्तावित है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री रोशनदीन को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता(राजस्व) श्रीमती प्रियंका अग्रवाल उपस्थित हुई।

(Handwritten signature)

क्रमशः.....02

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 कि०वा० विद्युत भार पर, दिनांक 14.10.2019 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 22.09.2024 तक एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा प्रथम विद्युत बिल, संयोजन की तिथि से, लगभग 24 माह बाद दिनांक 27.01.2021 को जारी किया गया है। तदपश्चात लगभग एक वर्ष बाद दिनांक 31.01.2022 को तथा दिनांक 31.01.2022 के 14 माह के पश्चात दिनांक 15.02.2024 को बिल जारी किया गया है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, निर्धारित बिलिंग चक्रों में बिल जारी न करते हुए, मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (2/4) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को निर्धारित समय पर वास्तविक विद्युत खपत के बिल जारी किए जा सकें।

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार परिवादी को निम्नानुसार विद्युत खपत के बिल जारी किए गए हैं:-

अवधि से	तक	माह (लगभग)	कुल विद्युत खपत (यूनिट में)	औसत मासिक खपत (लगभग) (यूनिट में)
14.10.2019	27.01.2021	24	700	29
27.01.2021	31.01.2022	12	300	25
31.01.2022	28.03.2022	02	00	—
28.03.2022	15.02.2024	12.56	4443	197
15.02.2024	22.09.2024	07	00	—

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के परिसर पर गतिमान मीटर पर, समय-समय पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी नहीं किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, परिवादी के परिसर पर गतिमान मीटर संख्या-423719 पर मीटर रीडिंग 5494 केडब्ल्यूएच दर्ज है। अर्थात् परिवादी द्वारा, दिनांक 14.10.2019 से दिनांक 22.09.2024 तक, लगभग 59 माह की अवधि में कुल 5495 यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 59 माह की अवधि में लगभग 91 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर स्वीकृत भार 02 किलोवाट के सापेक्ष सही प्रतीत होती है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 2581 दिनांक 15.10.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-423719 पर, दिनांक 14.10.2019 से दिनांक 22.09.2024 तक की गई कुल विद्युत खपत 5493 यूनिट के सापेक्ष दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर विलंब अधिभार शुल्क रहित, बिल जारी किए जा रहे हैं जो कि सही प्रतीत होते हैं।

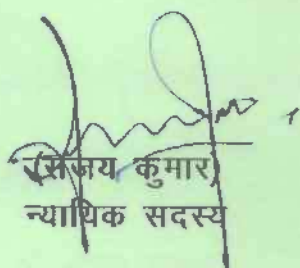
अतः उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-423719 पर, दिनांक 14.10.2019 से दिनांक 22.09.2024 तक की गई कुल विद्युत खपत 5493 यूनिट के सापेक्ष दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर विलंब अधिभार शुल्क रहित प्रस्तावित संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

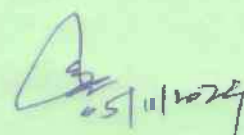
(हस्ताक्षर)

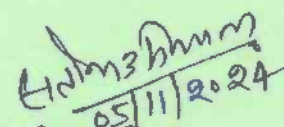
क्रमशः.....03

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-423719 पर, दिनांक 14.10.2019 से दिनांक 22.09.2024 तक की गई कुल विद्युत खपत 5493 यूनिट के सापेक्ष दर्ज, औसत विद्युत खपत के आधार पर विलंब अधिभार शुल्क रहित, संशोधित प्रस्तावित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(राजिव कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 262/2024

दिनांक : 13.11.2024

परिवादी :- श्री मसूद अली पुत्र श्री अतीकुर्रहमान, निवासी-प्लॉट नं० 39, मेन रोड कस्साबान, पोस्ट-ज्वालापुर, जिला-हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

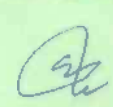
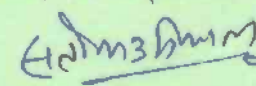
परिवादी श्री मसूद अली पुत्र श्री अतीकुर्रहमान, निवासी-प्लॉट नं० 39, मेन रोड कस्साबान, पोस्ट-ज्वालापुर, जिला-हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या जेडब्ल्यू-60744121714 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि शिकायतकर्ता के नाम एक विद्युत संयोजन, भार 04 कि०वा० का उनके निवास स्थल पर स्थापित है जिसका बिल काफी समय से खराब आ रहा है और विद्युत कनेक्शन भी कटा हुआ है। विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर के विद्युत मीटर भी उतार लिया गया था। लेकिन उसके बाद से उनके नाम पर बार-बार विद्युत बिल भेजा जा रहा है। जिसके सम्बन्ध में उन्होंने दिनांक 20.02.2024 को एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर कोई कार्यवाही किसी प्रकार की नहीं की गई है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके नाम से भेजे जा रहे विद्युत बिलों को ठीक किया जाए तथा उक्त विद्युत कनेक्शन को पुनः चालू कराया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा, पत्र संख्या 4822, दिनांकित 21.10.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता श्री मसूद अली पुत्र श्री अतीकुर्रहमान, प्लॉट नं० 39, मेन रोड, कस्साबान, ज्वालापुर, हरिद्वार को निर्गत संयोजन संख्या जेडब्ल्यू-60744121714 का स्थायी विच्छेदन कर दिया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री मसूद अली को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) श्री एस०के० गौतम उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 04 कि०वा० विद्युत भार पर, दिनांक 29.02.2016 को निर्गत किया गया है। विभाग द्वारा दिनांक 30.05.2020 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तदपश्चात दिनांक 29.06.2020

क्रमशः.....02

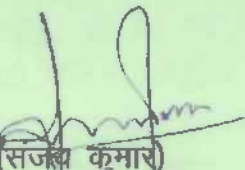
से दिनांक 30.09.2024 तक, आईडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादी का यह कथन कि प्रश्नगत संयोजन को पूर्व में ही विच्छेदित कर दिया गया था, सही प्रतीत होता है, क्योंकि दिनांक 30.05.2022 के पश्चात, विपक्षी विभाग द्वारा कोई भी बिल, विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर जारी नहीं किए गए हैं।

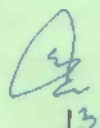
विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यालय ज्ञाप संख्या-4760 दिनांक 18.10.2024 से भी विदित होता है कि परिवादी का प्रश्नगत विद्युत संयोजन दिनांक 05/2020 को अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन को दिनांक 05/2020 को, अस्थायी रूप से विच्छेदित किए जाने के पश्चात, लगभग 53 माह के बाद, स्थायी विच्छेदन की कार्यवाही पूर्ण की गई है, जबकि विपक्षी विभाग द्वारा उक्त विच्छेदन की कार्यवाही, अस्थायी विच्छेदन की तिथि 05/2020 के पश्चात, 06 माह पूर्ण हो जाने पर, दिनांक 11/2020 को पूर्ण की जानी थी। इस प्रकार विलंब से स्थायी विच्छेदन की कार्यवाही पूर्ण किए जाने के परिणामस्वरूप, विपक्षी विभाग द्वारा, मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 6.1(1) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है, ताकि परिवादी/उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसी क्रम में, विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 4822 दिनांक 21.10.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन के सापेक्ष, अस्थायी विच्छेदन की तिथि 05/2020 का संज्ञान लेते हुए, स्थायी विच्छेदन की कार्यवाही, कार्यालय ज्ञाप संख्या-4760 दिनांक 18.10.2024 के माध्यम से पूर्ण करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जो कि सही प्रतीत होता है।

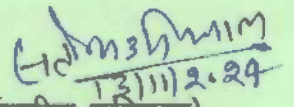
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के परिवाद का समाधान कर देने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


13/11/2024
(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


13/11/2024
(सतीश उनीयाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 264 / 2024

दिनांक : 05.11.2024

शिकायतकर्ता :- श्री राधा शर्मा पत्नी श्री राजेश कुमार शर्मा, निवासी-थर्ड फ्लोर, बालाजी निवास, हिमगिरि कालोनी, नियर बंगाली अस्पताल, कनखल, जिला-हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

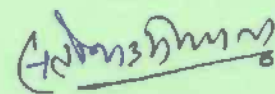
श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

शिकायतकर्ता श्री राधा शर्मा पत्नी श्री राजेश कुमार शर्मा, निवासी-थर्ड फ्लोर, बालाजी निवास, हिमगिरि कालोनी, नियर बंगाली अस्पताल, कनखल, जिला-हरिद्वार द्वारा कागज सं०-1 ता 19 प्रस्तुत कर नये विद्युत संयोजन लेने के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके द्वारा उपरोक्त फ्लैट की खरीद पंजाब नेशनल बैंक (पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, खरखरी शाखा) द्वारा वित्तपोषित की गई थी। समय बीतने के साथ, श्रीमती मीनाक्षी सिंह द्वारा ऋण का भुगतान न करने के कारण, उनका आवास ऋण खाता एनपीए (गैर निष्पादित परिसंपत्ति) बन गया और फ्लैट का भौतिक कब्जा बैंक द्वारा ले लिया गया। फ्लैट चार साल से अधिक समय तक बैंक के कब्जे में रहा, इस अवधि के दौरान बैंक ने ई-नीलामी (भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार) के माध्यम से फ्लैट को बेचने का प्रयास किया। दिनांक 18.06.2024 को बैंक द्वारा आयोजित ई-नीलामी के परिणामस्वरूप, श्रीमती राधा शर्मा और उनके पति ने संयुक्त रूप से उक्त फ्लैट खरीदा है। उन्होंने बैंक को फ्लैट की पूरी कीमत का भुगतान किया गया और दिनांक 24.06.2024 को उनके (राधा शर्मा पत्नी राजेश कुमार शर्मा और राजेश कुमार शर्मा पुत्र कन्हैया राम शर्मा) नाम से रजिस्ट्री भी करवा ली गयी थी। जब उन्होंने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया तो उन्हें बताया गया कि उक्त परिसर पर पुराना विद्युत बकाया है। उनका विनम्र अनुरोध है कि पुराने बकाया कि वसूली पूर्व स्वामिनी श्रीमती मीनाक्षी सिंह से की जाए जिन्होंने बिजली का उपभोग किया है या बैंक से किया जाए। वह इस फ्लैट के नए खरीदारों को श्रीमती मीनाक्षी सिंह के गलत कार्यों के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए, श्रीमती मीनाक्षी सिंह को



क्रमशः.....02

नियमित रूप से बिल का भुगतान करना चाहिए था। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके उक्त फ्लैट पर नया विद्युत कनेक्शन लगवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने जवाब में कागज सं०-21 मय संलग्नक कागज सं०-22 ता 24 प्रस्तुत कर अपने पत्र संख्या 2568 दिनांकित 14.10.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि वादी श्रीमती राधा शर्मा पत्नी श्री राजेश कुमार शर्मा की शिकायत का अवलोकन किया गया। जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा विद्युत संयोजन लेने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया, जिसकी आवेदन सं० 10410340221 है। अवगत कराना है कि उक्त परिसर में पूर्व में विद्युत संयोजन सं० 6910431111272 श्रीमती मिनाक्षी के नाम से स्थापित था। उक्त संयोजन माह 03/2017 को स्थाई विच्छेदन किया गया। जिसकी बकाया धनराशि ₹० 54198.00 चली आती है। उक्त धनराशि की वसूली हेतु दिनांक 10.01.2019 को धारा-5 निर्गत किया गया है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि परिसर पर बकाया धनराशि को जमा करने का पूर्ण उत्तरदायित्व परिसर के स्वामी का होता है। यह जाँच करना कि उक्त परिसर पर किसी विभाग का बकाया है अथवा नहीं, इसका दायित्व श्रीमती राधा शर्मा एवं श्री राजेश कुमार शर्मा का था। मां० मंच को अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता नये संयोजन को जारी करना तथा सम्बन्धित मामले) विनियम, 2020 के बिन्दु सं० 3.3.3 (3) के अनुसार बकाया धनराशि जमा हुए बिना नया विद्युत संयोजन जारी नहीं किया जा सकता।

मंच के समक्ष शिकायतकर्ता श्रीमती राधा शर्मा को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी उपस्थित आये। मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि शिकायतकर्ता ने बैंक की गयी नीलामी में खरीद की गई मकान सम्पत्ति पर नया विद्युत कनेक्शन लेना चाहता है परन्तु विपक्षी द्वारा मकान पर विद्युत का बकाया धनराशि ₹० 54198.00 होना दर्शाते हुए उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता नये संयोजन को जारी करना तथा सम्बन्धित मामले) विनियम, 2020 के बिन्दु सं० 3.3.3 (3) के अनुसार बकाया धनराशि जमा हुए बिना नया विद्युत संयोजन जारी करने से इंकार कर दिया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत विचारणीय वाद बिन्दु यह है कि—

—क्या विपक्षी द्वारा विद्युत संयोजन से इंकार किया जाना न्याय एवं विधि सम्मत है?

उक्त वाद बिन्दु का निस्तारण करने के लिए कानून के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है—

Transfer of Property Act 1882

Handwritten signature

क्रमशः.....03

Handwritten signature

Handwritten signature

Section 54. "Sale" defined.—"Sale" is a transfer of ownership in exchange for a price paid or promised or part-paid and part-promised. Sale how made—Such transfer, in the case of tangible immoveable property of the value of one hundred rupees and upwards, or in the case of a reversion or other intangible thing, can be made only by a registered instrument. In the case of tangible immoveable property of a value less than one hundred rupees, such transfer may be made either by a registered instrument or by delivery of the property. Delivery of tangible immoveable property takes place when the seller places the buyer, or such person as he directs, in possession of the property.

Contract for sale.—A contract for the sale of immoveable property is a contract that a sale of such property shall take place on terms settled between the parties. It does not, of itself, create any interest in or charge on such property.

Section 55- Rights and liabilities of buyer and seller.—In the absence of a contract to the contrary, the buyer and the seller of immoveable property respectively are subject to the liabilities, and have the rights, mentioned in the rules next following, or such of them as are applicable to the property sold:

(1) The seller is bound— (g) to pay all public charges and rent accrued due in respect of the property up to the date of the sale, the interest on all incumbrances on such property due on such date, and, except where the property is sold subject to incumbrances, to discharge all incumbrances on the property then existing.

Electricity Act 2003

Section 43- Duty to supply on request.

(1) ¹ [Save as otherwise provided in this Act, every distribution] licensee, shall, on an application by the owner or occupier of any premises, give supply of electricity to such premises, within one month after receipt of the application requiring such supply:

Provided that where such supply requires extension of distribution mains, or commissioning of new sub-stations, the distribution licensee shall supply the electricity to such premises immediately after such extension or commissioning or within such period as may be specified by the Appropriate Commission:

Provided further that in case of a village or hamlet or area wherein no provision for supply of electricity exists, the Appropriate Commission may extend the said period as it may consider necessary for electrification of such village or hamlet or area.

² [Explanation.--For the purposes of this sub-section, "application" means the application complete in all respects in the appropriate form, as required by the distribution licensee, along with documents showing payment of necessary charges and other compliances.]

(2) It shall be the duty of every distribution licensee to provide, if required, electric plant or electric line for giving electric supply to the premises specified in sub-section (1):

Provided that no person shall be entitled to demand, or to continue to receive, from a licensee a supply of electricity for any premises having a separate supply unless he has agreed with the licensee to pay to him such price as determined by the Appropriate Commission.

(3) If a distribution licensee fails to supply the electricity within the period specified in sub-section (1), he shall be liable to a penalty which may extend to one thousand rupees for each day of default.

Section 47- Power to require security.

(1) Subject to the provisions of this section, a distribution licensee may require any person, who requires a supply of electricity in pursuance of section 43, to give him reasonable security, as may be determined by regulations, for the payment to him of all monies which may become due to him--

(a) in respect of the electricity supplied to such persons; or

(b) where any electric line or electrical plant or electric meter is to be provided for supplying electricity to such person, in respect of the provision of such line or plant or meter,

and if that person fails to give such security, the distribution licensee may, if he thinks fit, refuse to give the supply of electricity or to provide the line or plant or meter for the period during which the failure continues.

(2) Where any person has not given such security as is mentioned in sub-section (1) or the security given by any person has become invalid or insufficient, the distribution licensee may, by notice, require that person, within thirty days after the service of the notice, to give him reasonable security for the payment of all monies which may become due to him in respect of the supply of electricity or provision of such line or plant or meter.

(3) If the person referred to in sub-section (2) fails to give such security, the distribution licensee may, if he thinks fit, discontinue the supply of electricity for the period during which the failure continues.

(4) The distribution licensee shall pay interest equivalent to the bank rate or more, as may be specified by the concerned State Commission, on the security referred to in sub-section (1) and refund such security on the request of the person who gave such security.

(5) A distribution licensee shall not be entitled to require security in pursuance of clause (a) of sub-section (1) if the person requiring the supply is prepared to take the supply through a pre-payment meter.

Section 56- Disconnection of supply in default of payment

(1) Where any person neglects to pay any charge for electricity or any sum other than a charge for electricity due from him to a licensee or the generating company in respect of supply, transmission or distribution or wheeling of electricity to him, the licensee or the generating company may, after giving not less than fifteen clear days' notice in writing, to such person and without prejudice to his rights to recover such charge or other sum by suit, cut off the supply of electricity and for that purpose cut or disconnect any electric supply line or other works being the property of such licensee or the generating company through which electricity may have been supplied, transmitted, distributed or wheeled and may discontinue the supply until such charge or other sum, together with any expenses incurred by him in cutting off and reconnecting the supply, are paid, but no longer:

Provided that the supply of electricity shall not be cut off if such person deposits, under protest,--

(a) an amount equal to the sum claimed from him, or

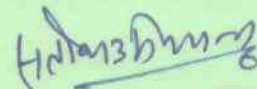
(b) the electricity charges due from him for each month calculated on the basis of average charge for electricity paid by him during the preceding six months, whichever is less, pending disposal of any dispute between him and the licensee.

(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no sum due from any consumer, under this section shall be recoverable after the period of two years from the date when such sum became first due unless such sum has been shown continuously as recoverable as arrear of charges for electricity supplied and the licensee shall not cut off the supply of the electricity.

विद्युत आपूर्ति संहिता 2020

अध्याय-1 प्रस्तर 1.2 बिन्दु (1)(LL) में बकाया देय को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार 'बकाया देय का तात्पर्य विच्छेदन के समय उक्त परिसर पर देय सभी बकाया राशी व विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के अधीन विलम्ब भुगतान सहित अधिभार से है'।

अध्याय-3 प्रस्तर 3.3.2 बिन्दु-04 के अनुसार- आवेदन पत्र के साथ जमा किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज नीचे दिये गये हैं:



क्रमशः.....06





(i) स्वामित्व व कब्जाधारी होने का प्रमाण-आवेदक परिसर जिसके लिए संयोजन की आवश्यकता है के स्वामित्व व कब्जाधारी होने के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की स्वहस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत करेगा।

(a) बिक्री विलेख या पट्टा विलेख (आवेदन की तिथि से तीन महीने पहले जारी की गई नवीनतम किराया रसीद के साथ) या खसरा या खतौनी (खसरा या खतौनी में आवेदक का नाम शामिल होना इस उद्देश्य के लिये पर्याप्त होगा)।

(b) पंजीकृत मुख्तयारनामा ।

(c) नगर कर रसीद या डिमांड नोटिस या कोई अन्य संबंधित दस्तावेज।

(d) आबंटन पत्र

(e) एक आवेदक जो एक मालिक नहीं है, लेकिन परिसर का एक कब्जाधारी है, उक्त (a) से (d) में सूचीबद्ध दस्तावेज में से किसी एक को परिसर के मालिक के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि आवेदक उपरोक्त (a) से (e) में सूचीबद्ध किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो आवेदक से उप-विनियम 3.3.3 के क्लॉज (11) की तालिका 3.4 से तालिका 3.6 के अनुसार तीन गुना धरोहर राशि चार्ज की जायेगी। परिसर का मालिक यदि आवेदक से अलग है तो ऐसे संयोजन के विरुद्ध किसी भी बकाया के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

विद्युत आपूर्ति संहिता 2020 के अध्याय-3 प्रस्तर 3.3.3 बिन्दु-03 के अनुसार-

पावती जारी करने के बाद अनुज्ञप्तिधारी यह पता लगायेगा क्या परिसर का कोई बकाया है तथा यदि ऐसा है तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसी बकाया राशि का पूरा विवरण देते हुए आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 5 दिनों के भीतर एक मांग पत्र जारी करेगा। आवेदक को 15 दिनों के भीतर बकाया राशि जमा करने हेतु कहा जायेगा। इसमें विफल होने पर आवेदन निरस्त समझा जायेगा तथा आवेदक को तदनुसार लिखित रूप में पावती के तहत सूचित कर दिया जायेगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत निम्नलिखित विचारण किया गया-

1. यहकि प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 43 का उल्लंघन किया जाना दर्शित नहीं होता है।
2. यहकि किसी भी सम्पत्ति के विक्रय किये जाने के समय तक सम्पत्ति पर देय अदा करने का दायित्व विक्रेता का होता है।
3. यहकि धारा 47 के अन्तर्गत विद्युत सप्लाई किये जाने के विरुद्ध सिक्थोरिटी लिए जाने का

Handwritten signature क्रमशः.....07

प्रावधान है तथा अदा न करने पर उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किये जाने का प्रावधान है उक्त का पालन न करने का कोई आधार अथवा कारण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। सिक्योरिटी धनराशि से अधिक धनराशी का बिल होने पर विद्युत कनेक्शन न काटकर विपक्षी विभाग ने किस प्रावधान का पालन किया पत्रावली पर परिलक्षित नहीं है।

4. यहकि विद्युत अधिनियम की धारा 56(2) के अन्तर्गत उपभोक्ता की विद्युत सप्लाई काटे जाने के दिनांक से दो साल के बाद विपक्षी विभाग का उपभोक्ता से वसूली करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। प्रश्नगत शिकायत में विपक्षी द्वारा पत्रावली पर दाखिल कागज सं०-22 के अनुसार माह 3/2017 को उपभोक्ता का कनेक्शन काटा गया है। अर्थात् दो वर्ष की अवधि 3/2019 को पूर्ण हो चुकी है।
5. यहकि अध्याय-1 प्रस्तर 1.2 बिन्दु (1)(LL) में बकाया देय अधिनियम धारा 56(2) के अधीन है। अर्थात् जो कि विच्छेदन तिथि के दो व्यतीत होने के बाद स्वतः समाप्त हो जाते हैं।
6. यहकि अध्याय-3 प्रस्तर 3.3.2 बिन्दु-04 के अनुसार आवेदक से उप-विनियम 3.3.3 के क्लॉज (11) की तालिका 3.4 से तालिका 3.6 के अनुसार तीन गुना धरोहर राशी चार्ज की जायेगी। परिसर का मालिक यदि आवेदक से अलग है तो ऐसे संयोजन के विरुद्ध किसी भी बकाया के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। स्पष्ट हैकि विभाग भी मानता है कि उपभोक्ता का विद्युत बिल धरोहर धनराशी से अधिक नहीं हो सकता।
7. यहकि विपक्षी ने विद्युत आपूर्ति संहिता 2020 के अध्याय-3 प्रस्तर 3.3.3 बिन्दु-03 का आधार लिया है परन्तु बकाया देय अध्याय-1 प्रस्तर 1.2 बिन्दु (1)(LL) में परिभाषित किया गया है जो कि अधिनियम धारा 56(2) के अधीन है तथा विच्छेदन तिथि के दो वर्ष व्यतीत होने के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। उक्त स्थिति में परिसर पर बकाया देय का कथन विधि सम्मत नहीं हो सकता है।
8. यहकि माननीय उच्चन्यायालय उत्तराखण्ड ने भी विद्युत को मौलिक आवश्यकता माना है (WPMS 691/2023).
9. यहकि विपक्षी विभाग द्वारा कथित बकाया धनराशी वास्तविक उपभोक्ता श्रीमती मीनाक्षी सिंह एवं विपक्षी विभाग के मध्य का विषय है जिसे एक पक्षीय रूप से निर्विवादित मानते हुए वसूली शिकायतकर्ता से किया जाना भी न्याय के सिद्धान्त के अनूकूल नहीं है।

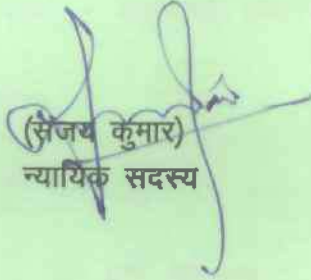
उपरोक्त के बावजूद भी माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजन के को जारी करना तथा सम्बन्धित मामले) विनियम 2020 के प्रावधान

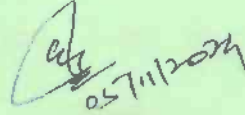
Handwritten signature
क्रमशः.....08

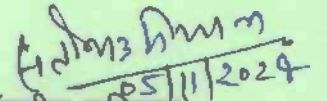
अध्याय-3 प्रस्तर 3.3.3 बिन्दु-03 के अनुसार विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता का नये संयोजन हेतु आवेदन निरस्त किया जाना मंच की राय में उचित है।

आदेश

शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(सैजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


05/11/2024
(जी० एस० धर्मसत्त)
तकनीकी सदस्य


05/11/2024
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर शिकायतकर्ता आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में प्रत्यावेदन कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 265/2024

दिनांक : 13.11.2024

परिवादी :- श्री फैजान पुत्र श्री रिजवान, निवासी-मेनरोड़ कस्साबान ज्वालापुर, निकट आयान सर्विस सेन्टर, ज्वालापुर, जिला-हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री फैजान पुत्र श्री रिजवान, निवासी-मेनरोड़ कस्साबान ज्वालापुर, निकट आयान सर्विस सेन्टर, ज्वालापुर, जिला-हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-जे०डब्ल्यू०४०७४४१२१३५२ के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उक्त कनेक्शन 2018 के लगभग, विद्युत विभाग द्वारा काट कर, मीटर उतार लिया गया था। उन्होंने विद्युत उपखण्ड कार्यालय ज्वालापुर प्रथम को दिनांक 22.06.2022 को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उनका विद्युत बिल ठीक नहीं हुआ है। अतः मंच से अनुरोध है कि विद्युत बिल ठीक करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 5000, दिनांकित 28.10.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि श्री फैजान पुत्र श्री रिजवान, के संयोजन संख्या-जे०डब्ल्यू०-40744121352, निवासी-मेनरोड़ कस्साबान, निकट आयान सर्विस सेन्टर, ज्वालापुर, हरिद्वार, का स्थायी विच्छेदन कर दिया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री फैजान को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) श्री एस० के० गौतम उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 01 कि०वा० विद्युत भार पर, दिनांक 09.10.2015 को श्री फैजान के नाम पर निर्गत किया गया है। विभाग द्वारा दिनांक 14.08.2018 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तदपश्चात दिनांक 20.10.2018 से दिनांक 31.10.2024 तक, आईडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादी का यह कथन कि प्रश्नगत संयोजन को वर्ष 2018 में विच्छेदित कर दिया गया था, सही प्रतीत होता है, क्योंकि दिनांक 14.08.2021 के पश्चात, विपक्षी विभाग द्वारा कोई भी बिल, विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर जारी नहीं किए गए हैं।

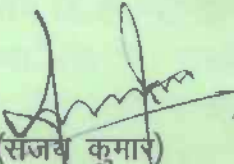
क्रमशः.....02

विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यालय ज्ञाप संख्या-4999 दिनांक 28.10.2024 से भी विदित होता है कि परिवादी का प्रश्नगत विद्युत संयोजन, दिनांक 14.08.2018 को अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन के, दिनांक 14.08.2018 को, अस्थायी रूप से विच्छेदित किए जाने के पश्चात, लगभग 74 माह के उपरांत, दिनांक 28.10.2024 को, स्थायी विच्छेदन की कार्यवाही पूर्ण की गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा उक्त विच्छेदन की कार्यवाही, अस्थायी विच्छेदन की तिथि 14.08.2018 के पश्चात, 06 माह पूर्ण हो जाने पर, दिनांक 14.02.2019 को पूर्ण की जानी थी। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, विलंब से स्थायी विच्छेदन की कार्यवाही पूर्ण किए जाने के परिणामस्वरूप, मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 6.1(1) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि परिवादी/उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसी क्रम में, विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 5000 दिनांक 28.10.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन के सापेक्ष, अस्थायी विच्छेदन की तिथि 14.08.2018 को संज्ञान लेते हुए, स्थायी विच्छेदन की कार्यवाही, कार्यालय ज्ञाप संख्या-4999 दिनांक 28.10.2024 के माध्यम से पूर्ण करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जो कि सही प्रतीत होता है।

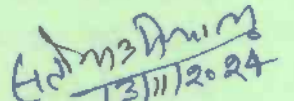
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के परिवाद का समाधान कर देने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


13/11/2024
(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


13/11/2024
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 268/2024

दिनांक : 13.11.2024

परिवादी :- श्री अनुराग शर्मा पुत्र स्व० श्री कपिल देव शर्मा, धर्मशाला खिलन्दी बाई, सुभाष घाट,
जिला-हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री अनुराग शर्मा पुत्र स्व० श्री कपिल देव शर्मा, धर्मशाला खिलन्दी बाई, सुभाष घाट, जिला-हरिद्वार द्वारा कागज सं०-1 मय संलग्नक कागज सं०-2 ता 9 प्रस्तुत कर नये विद्युत संयोजन लेने के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि शिकायतकर्ता धर्मशाला खिलन्दी बाई का प्रबन्धक-ट्रस्टी है एवं मेरे द्वारा 25.06.2024 को एक नये विद्युत कनेक्शन के लिए भूपतवाला विद्युत कार्यालय में आवेदन किया गया था जोकि दिनांक 04.07.2024 को रजिस्टर्ड हो गया था जिसका रजिस्ट्रेशन नं० 520040724007 है। धर्मशाला खिलन्दी बाई में ग्राउण्ड फ्लोर पर शहर कांग्रेस कमेटी किरायेदार थे एवं उनके पास एक विद्युत कनेक्शन भी चला आ रहा था जोकि धर्मशाला प्रबन्धक-ट्रस्टीगण की अनुमति से नहीं लिया गया था। उपरोक्त जगह माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 19.12.2023 को कांग्रेस कमेटी से खाली करवा ली गयी है तथा जिसके आदेश की कापी उसने उसके नये फार्म के साथ विभाग में जमा करा दी थी। विद्युत विभाग ने उसके नये कनेक्शन की प्रक्रिया को होल्ड कर दिया है एवं कह रहे हैं कि इस जगह पर कांग्रेस-कमेटी का बकाया चल रहा है वह जमा कराइये। उपरोक्त बकाया राशि को विभाग द्वारा समय रहते वसूलनी चाहिए थी जोकि नहीं करी गयी है और अब विभाग उन्हें परेशान कर रहा है और उसका नया कनेक्शन नहीं मंजूर कर रहा है। वह कई बार विभाग में जा चुका है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई विभाग उसको बकाया भुगतान करने के लिए कह रहा है जोकि उसकी देयता नहीं है। अतः मंच से अनुरोध है कि विपक्षी विभाग को नया विद्युत कनेक्शन जारी करने का आदेश पारित किया जाये।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी ने अपने जवाब कागज सं०-10 पत्र संख्या 611 दिनांकित 21.10.2024 मय संलग्नक कागज सं०-11 ता 13 प्रस्तुत कर कथन किया कि अवर अभियन्ता लालजीवाला की रिपोर्ट के अनुसार वादी श्री अनुराग शर्मा पुत्र श्री कपिल देव शर्मा, धर्मशाला खिलन्दी

Handwritten signature of the Municipal Corporation with the text "कमरा:.....02" next to it.

बाई, सुभाष घाट, हरिद्वार के द्वारा जिस परिसर पर न्यू संयोजन के लिये आवेदन किया गया है, उस परिसर पर पूर्व में स्थापित संयोजन नं०-6960201030048 पर वर्तमान में अभिलेखों के अनुसार ₹0 1,54,255.38 बकाया चला आ रहा है।

परिवादी की ओर से प्रतिउत्तर पत्र कागज सं०-20 ता 21 एवं विपक्षी की ओर से Consumer History कागज सं०-15 ता 19 प्रस्तुत की गई।

मंच के समक्ष परिवादी श्री अनुराग शर्मा तथा विपक्षी की ओर से अवर अभियन्ता श्री नीरज कुमार उपस्थित हुए। मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी नया विद्युत संयोजन लेना है और विपक्षी के द्वारा उसके प्रार्थनापत्र पंजीकरण सं०-520040724007 दिनांकित 4.7.2024 का निस्तारण नहीं किया है न ही परिवादी को विद्युत कनेक्शन जारी किया है परिवादी द्वारा प्रश्नगत वाद प्रस्तुत करने पर विपक्षी ने अपने जवाब में कथन किया है कि परिसर पर पूर्व में स्थापित संयोजन नं०-6960201030048 पर वर्तमान में अभिलेखों के अनुसार ₹0 1,54,255.38 बकाया चला आ रहा है परन्तु विपक्षी ने अपने जवाब में परिवादी को कनेक्शन देने से इंकार भी नहीं किया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत विचारणीय वाद बिन्दु यह है कि-

-क्या विपक्षी द्वारा विद्युत संयोजन का न दिया जाना विधि सम्मत है?

उक्त वाद बिन्दु का निस्तारण करने के लिए कानून के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है-

Electricity Act 2003

Section 43- Duty to supply on request.

(1) ¹ [Save as otherwise provided in this Act, every distribution] licensee, shall, on an application by the owner or occupier of any premises, give supply of electricity to such premises, within one month after receipt of the application requiring such supply:

Provided that where such supply requires extension of distribution mains, or commissioning of new sub-stations, the distribution licensee shall supply the electricity to such premises immediately after such extension or commissioning or within such period as may be specified by the Appropriate Commission:

Provided further that in case of a village or hamlet or area wherein no provision for supply of electricity exists, the Appropriate Commission may extend the said period as it may consider necessary for electrification of such village or hamlet or area.

² [Explanation.--For the purposes of this sub-section, "application" means the application complete in all respects in the appropriate form, as required by the distribution licensee, along with documents showing payment of necessary charges and other compliances.]

Handwritten signature and text: क्रमशः.....03

(2) It shall be the duty of every distribution licensee to provide, if required, electric plant or electric line for giving electric supply to the premises specified in sub-section (1):

Provided that no person shall be entitled to demand, or to continue to receive, from a licensee a supply of electricity for any premises having a separate supply unless he has agreed with the licensee to pay to him such price as determined by the Appropriate Commission.

(3) If a distribution licensee fails to supply the electricity within the period specified in sub-section (1), he shall be liable to a penalty which may extend to one thousand rupees for each day of default.

Section 47- Power to require security.

(1) Subject to the provisions of this section, a distribution licensee may require any person, who requires a supply of electricity in pursuance of section 43, to give him reasonable security, as may be determined by regulations, for the payment to him of all monies which may become due to him--

(a) in respect of the electricity supplied to such persons; or

(b) where any electric line or electrical plant or electric meter is to be provided for supplying electricity to such person, in respect of the provision of such line or plant or meter,

and if that person fails to give such security, the distribution licensee may, if he thinks fit, refuse to give the supply of electricity or to provide the line or plant or meter for the period during which the failure continues.

(2) Where any person has not given such security as is mentioned in sub-section (1) or the security given by any person has become invalid or insufficient, the distribution licensee may, by notice, require that person, within thirty days after the service of the notice, to give him reasonable security for the payment of all monies which may become due to him in respect of the supply of electricity or provision of such line or plant or meter.

(3) If the person referred to in sub-section (2) fails to give such security, the distribution licensee may, if he thinks fit, discontinue the supply of electricity for the period during which the failure continues.

(4) The distribution licensee shall pay interest equivalent to the bank rate or more, as may be specified by the concerned State Commission, on the security referred to in sub-

क्रमशः.....04

section (1) and refund such security on the request of the person who gave such security.

(5) A distribution licensee shall not be entitled to require security in pursuance of clause (a) of sub-section (1) if the person requiring the supply is prepared to take the supply through a pre-payment meter.

Section 56- Disconnection of supply in default of payment

(1) Where any person neglects to pay any charge for electricity or any sum other than a charge for electricity due from him to a licensee or the generating company in respect of supply, transmission or distribution or wheeling of electricity to him, the licensee or the generating company may, after giving not less than fifteen clear days' notice in writing, to such person and without prejudice to his rights to recover such charge or other sum by suit, cut off the supply of electricity and for that purpose cut or disconnect any electric supply line or other works being the property of such licensee or the generating company through which electricity may have been supplied, transmitted, distributed or wheeled and may discontinue the supply until such charge or other sum, together with any expenses incurred by him in cutting off and reconnecting the supply, are paid, but no longer:

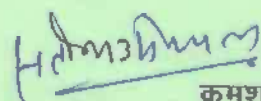
Provided that the supply of electricity shall not be cut off if such person deposits, under protest,--

- (a) an amount equal to the sum claimed from him, or
- (b) the electricity charges due from him for each month calculated on the basis of average charge for electricity paid by him during the preceding six months, whichever is less, pending disposal of any dispute between him and the licensee.

(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no sum due from any consumer, under this section shall be recoverable after the period of two years from the date when such sum became first due unless such sum has been shown continuously as recoverable as arrear of charges for electricity supplied and the licensee shall not cut off the supply of the electricity.

विद्युत आपूर्ति संहिता 2020

अध्याय-1 प्रस्तर 1.2 बिन्दु (1)(LL) में बकाया देय को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार 'बकाया देय का तात्पर्य विच्छेदन के समय उक्त परिसर पर देय सभी बकाया राशी व विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के अधीन विलम्ब भुगतान सहित अधिभार से है'।



क्रमशः.....05

अध्याय-3 प्रस्तर 3.3.2 बिन्दु-04 के अनुसार- आवेदन पत्र के साथ जमा किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज नीचे दिये गये हैं:

(i) स्वामित्व व कब्जाधारी होने का प्रमाण-आवेदक परिसर जिसके लिए संयोजन की आवश्यकता है के स्वामित्व व कब्जाधारी होने के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की स्वहस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत करेगा।

(a) बिक्री विलेख या पट्टा विलेख (आवेदन की तिथि से तीन महीने पहले जारी की गई नवीनतम किराया रसीद के साथ) या खसरा या खतौनी (खसरा या खतौनी में आवेदक का नाम शामिल होना इस उद्देश्य के लिये पर्याप्त होगा)।

(b) पंजीकृत मुख्तयारनामा।

(c) नगर कर रसीद या डिमांड नोटिस या कोई अन्य संबंधित दस्तावेज।

(d) आबंटन पत्र

(e) एक आवेदक जो एक मालिक नहीं है, लेकिन परिसर का एक कब्जाधारी है, उक्त (a) से (d) में सूचीबद्ध दस्तावेज में से किसी एक को परिसर के मालिक के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि आवेदक उपरोक्त (a) से (e) में सूचीबद्ध किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो आवेदक से उप-विनियम 3.3.3 के क्लॉज (11) की तालिका 3.4 से तालिका 3.6 के अनुसार तीन गुना धरोहर राशि चार्ज की जायेगी। परिसर का मालिक यदि आवेदक से अलग है तो ऐसे संयोजन के विरुद्ध किसी भी बकाया के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

विद्युत आपूर्ति संहिता 2020 के अध्याय-3 प्रस्तर 3.3.3 बिन्दु-03 के अनुसार-

पावती जारी करने के बाद अनुज्ञप्तिधारी यह पता लगायेगा क्या परिसर का कोई बकाया है तथा यदि ऐसा है तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसी बकाया राशि का पूरा विवरण देते हुए आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 5 दिनों के भीतर एक मांग पत्र जारी करेगा। आवेदक को 15 दिनों के भीतर बकाया राशि जमा करने हेतु कहा जायेगा। इसमें विफल होने पर आवेदन निरस्त समझा जायेगा तथा आवेदक को तदनुसार लिखित रूप में पावती के तहत सूचित कर दिया जायेगा।

विद्युत आपूर्ति संहिता 2020 के अध्याय-3 प्रस्तर 3.3.3 में एल.टी. संयोजन के लिए कार्यवाही के अन्तर्गत

क्रमशः.....06

क्रमांक बिन्दु 6 के अनुसार -

Licencee shall also record correct and full address of the premises, if not provided in the application along with land mark near the property or GPS co-ordinates (where available) and also pole number from where service connection is proposed.

उपरोक्त के दृष्टिगत निम्नलिखित विचारण किया गया -

1. यहकि प्रथम दृष्टया विपक्षी विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 43 का पालन किया जाना दर्शित नहीं होता है क्योंकि विपक्षी ने आवेदन का निस्तारण ही नहीं किया।
2. विद्युत आपूर्ति संहिता 2020 के अध्याय-3 प्रस्तर 3.3.3 बिन्दु-03 के अनुसार-पावती जारी करने के बाद अनुज्ञप्तिधारी यह पता लगायेगा क्या परिसर का कोई बकाया है तथा यदि ऐसा है तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसी बकाया राशि का पूरा विवरण देते हुए आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 5 दिनों के भीतर एक मांग पत्र जारी करेगा। आवेदक को 15 दिनों के भीतर बकाया राशि जमा करने हेतु कहा जायेगा। इसमें विफल होने पर आवेदन निरस्त समझा जायेगा तथा आवेदक को तदनुसार लिखित रूप में पावती के तहत सूचित कर दिया जायेगा। उक्त प्रावधान का विपक्षी ने पालन नहीं किया है।
3. यहकि धारा 47 के अन्तर्गत विद्युत सप्लाई किये जाने के विरुद्ध सिक्योरिटी लिए जाने का प्रावधान है तथा अदा न करने पर उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किये जाने का प्रावधान है उक्त का पालन न करने का कोई आधार अथवा कारण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। सिक्योरिटी धनराशि से अधिक धनराशी का बिल होने पर विद्युत कनेक्शन न काटकर विपक्षी विभाग ने किस प्रावधान का पालन किया है पत्रावली पर परिलक्षित नहीं होता है।
4. यहकि विद्युत अधिनियम की धारा 56(2) के अन्तर्गत उपभोक्ता की विद्युत सप्लाई काटे जाने के दिनांक से दो साल के बाद विपक्षी विभाग का उपभोक्ता से वसूली करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। प्रश्नगत शिकायत में विपक्षी द्वारा पत्रावली पर दाखिल कागज सं०-12,13,15 के अनुसार उपभोक्ता का कनेक्शन 2017 में काटा गया है। विपक्षी की ओर से अपने जवाब में टी.डी. व पी.डी की तारीख नहीं बताई है और न ही पी.डी. रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अर्थात् दो वर्ष की अवधि 2019 को पूर्ण हो चुकी है।




Handwritten signature and text: 07

5. यहकि अध्याय-1 प्रस्तर 1.2 बिन्दु (1)(LL) में बकाया देय अधिनियम धारा 56(2) के अधीन है। अर्थात् जो कि विच्छेदन तिथि के दो व्यतीत होने के बाद स्वतः समाप्त हो जाते हैं।
6. यहकि अध्याय-3 प्रस्तर 3.3.2 बिन्दु-04 के अनुसार आवेदक से उप-विनियम 3.3.3 के क्लॉज (11) की तालिका 3.4 से तालिका 3.6 के अनुसार तीन गुना धरोहर राशी चार्ज की जायेगी। परिसर का मालिक यदि आवेदक से अलग है तो ऐसे संयोजन के विरुद्ध किसी भी बकाया के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। स्पष्ट हैकि विभाग भी मानता है कि उपभोक्ता का विद्युत बिल धरोहर धनराशी से अधिक नहीं हो सकता।
7. यहकि विपक्षी ने विद्युत आपूर्ति संहिता 2020 के अध्याय-3 प्रस्तर 3.3.3 बिन्दु-03 का आधार लिया है परन्तु बकाया देय अध्याय-1 प्रस्तर 1.2 बिन्दु (1)(LL) में परिभाषित किया गया है जो कि अधिनियम धारा 56(2) के अधीन है तथा विच्छेदन तिथि के दो व्यतीत होने के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। उक्त स्थिति में परिसर पर बकाया देय का कथन विधि सम्मत नहीं हो सकता है।
8. यहकि माननीय उच्चन्यायालय उत्तराखण्ड ने भी विद्युत को मौलिक आवश्यकता माना है (WPMS 691/2023).
9. यहकि विपक्षी विभाग द्वारा कथित बकाया धनराशी वास्तविक उपभोक्ता पारस कुमार जैन एवं विपक्षी विभाग के मध्य का विषय है जिसे एक पक्षीय रूप से निर्विवादित मानते हुए वसूली शिकायतकर्ता से किया जाना भी न्याय के सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है। विपक्षी ने परिवादी के प्रतिउत्तर में इस कथन को अस्वीकार नहीं किया है कि वास्तविक उपभोक्ता पारस कुमार जैन की मृत्यु 2011 में हो चुकी है। विपक्षी द्वारा वसूली कार्यवाही किसके विरुद्ध की गई पत्रापत्ती पर परिलक्षित नहीं होता है। उक्त स्थिति में विपक्षी द्वारा कथित धनराशी रु० 1,54,255.38 को एक पक्षीय रूप से निर्विवादित मानते हुए उसकी वसूली शिकायतकर्ता से किया जाना भी न्याय के सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है।
10. यहकि यदि बकाया धनराशी Debarred by Limitation है जिसकी कानूनन वसूली नहीं की जा सकती हो तो परिसर पर बकाया धनराशी का कोई औचित्य नहीं रहता है।

उपरोक्त के बावजूद भी माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजन के को जारी करना तथा सम्बंधित मामले) विनियम 2020 के प्रावधान अध्याय-3 प्रस्तर 3.3.3 बिन्दु-03 के अनुसार विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को नये संयोजन

कमरा:.....08

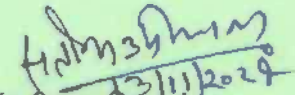
न दिया जाना बहुमत के आधार पर मंच की राय में उचित है।

आदेश

शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


(सतीश चनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर शिकायतकर्ता आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में प्रत्यावेदन कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 269/2024

दिनांक : 13.11.2024

परिवादी :- श्री करण पाल पुत्र श्री तुंगल सिंह, निवासी-ग्राम-धरमपुर, पोस्ट-इकबालपुर, रुड़की, जिला-हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री करण पाल पुत्र श्री तुंगल सिंह, निवासी-ग्राम-धरमपुर, पोस्ट-इकबालपुर, रुड़की, जिला-हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या आरडी2ई226091728 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके कनेक्शन का बिल, विभाग द्वारा, आरडीएफ में भेजा जा रहा था जबकि दिनांक 16.09.2022 को मीटर बदल दिया गया था, मगर विभाग को यह मालूम ही नहीं चला कि मीटर बदला गया है और अपनी लापरवाही के चलते ही विभाग ने अगस्त 2023 में, 12.06.2023 से 27.08.2023 तक का बिल पुराने मीटर को ही सही मान कर पुरानी रीडिंग 6999 में फर्जी तौर पर 3 यूनिट एड करके 7002 रीडिंग दिखा कर रिवाइज कर दिए, जबकि उस समय मीटर में 748 रीडिंग थी। उसके बाद भी विभाग कई माह तक फर्जी और मनगढ़ंत रीडिंग विभाग भरता रहा और अब दिनांक 21.08.2024 से 12.09.2024 तक, नए मीटर की वास्तविक रीडिंग 2363 पर बिल रिवाइज दिखाया है, जबकि बिल दिनांक 16.09.2022 से ठीक किया जाना था जिससे आरडीएफ के बिलों का एडजस्टमेंट उनको मिल जाता। अतः मंच से अनुरोध है कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन का बिल सही कराने के आदेश विद्युत विभाग को पारित किया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा, पत्र संख्या 5851, दिनांकित 23.10.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या आरडी2ई226091728, श्री करण पाल पुत्र श्री तुंगल सिंह, निवासी-ग्राम-धरमपुर, पोस्ट-इकबालपुर, रुड़की, जिला-हरिद्वार के नाम पर, घरेलू उपयोग हेतु, 01 कि०वा०, दिनांक 10.05.2009 को निर्गत किया गया था। क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी झबरेड़ा द्वारा, कार्यालय पत्रांक 2003 दिनांक 16.10.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता के संयोजन आरडी2ई226091728 पर स्थापित विद्युत मीटर संख्या यू802690 की रीडिंग के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या आरडी2ई226091728 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रु०. 547.00 की धनराशि बकाया है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

(हस्ताक्षर) क्रमशः.....02

मंच के समक्ष परिवादी श्री करण पाल सिंह को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री मौ० रिजवान उपस्थित हुए।

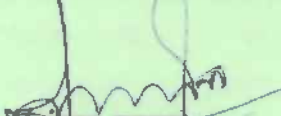
मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

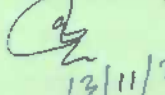
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 01 कि०वा० विद्युत भार पर, श्री करण पाल पुत्र श्री तुंगल सिंह के नाम पर, दिनांक 10.05.2009 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 17.10.2022 तक एमयू आधार पर, दिनांक 23.12.2022 से दिनांक 12.06.2023 तक, लगातार 04 बिलिंग चक्रों के लिए आरडीएफ आधार पर, दिनांक 27.08.2023 को एमयू आधार पर तदुपचात पुनः दिनांक 14.09.2023 से दिनांक 21.08.2024 तक, लगातार 12 बिलिंग चक्रों के लिए, आरडीएफ आधार पर तथा दिनांक 12.09.2024 एवं दिनांक 15.10.2024 को एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा लगातार दो बिलिंग चक्रों से अधिक बार, आरडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी करते हुए, मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें। परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में स्थापित मीटर संख्या-62839469 के दोषपूर्ण हो जाने के उपरांत, दिनांक 16.09.2022 को, मीटर संख्या-यू802690 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है परंतु विपक्षी विभाग द्वारा उक्त नये मीटर संख्या-यू802690 पर दर्ज मीटर रीडिंग के आधार पर, लगभग 24 माह बाद, दिनांक 12.09.2024 को बिल जारी किए गए हैं। उक्त अवधि में विपक्षी विभाग द्वारा आरडीएफ आधार पर बिल जारी किए जाते रहे, जबकि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या-यू802690 पर, परिवादी द्वारा की जा रही विद्युत खपत की मात्रा दर्ज की जाती रही, जिसे किसी भी दशा में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 5851 दिनांक 23.10.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के संयोजन के सापेक्ष, आर०डी०एफ० आधार पर जारी बिलों को, मीटर संख्या-यू802690 पर, दिनांक 15.10.2024 को दर्ज रीडिंग-2523 केडब्लूएच के आधार पर, संशोधित करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

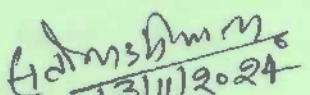
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


13/11/2024
(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


13/11/2024
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 272/2024

दिनांक : 19.11.2024

परिवादी :- श्री दिलशाद अहमद पुत्र स्व० श्री निसार वास्ते स्व० श्रीमती वकीला, निवासी-मोहल्ला पठानपुरा, पोस्ट-मंगलौर, रुड़की, जिला-हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री दिलशाद अहमद पुत्र स्व० श्री निसार वास्ते स्व० श्रीमती वकीला, निवासी-मोहल्ला पठानपुरा, पोस्ट-मंगलौर, रुड़की, जिला-हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-आरडी21718048326 सन्दर्भ में कथन किया गया है कि यह कनेक्शन उनकी स्वर्गीय माता श्रीमती वकीला के नाम एक घरेलू कनेक्शन मोहल्ला किला में लगा हुआ था जिसे बिल बकाया के कारण अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 14.02.2019 को रीडिंग 19372 पर काट कर मीटर भी उसी समय उतार लिया गया था। जो कि एंट्री खातों में भी दर्ज है, माननीय नियामक आयोग के नियमानुसार बकाया पर काटे गये कनेक्शन को छः महीने के बाद स्थाई रूप से बन्द करना विभाग की जिम्मेदारी थी जिसे निभाने में विभाग विफल रहा, विभाग द्वारा खातों में कनेक्शन काटने की एंट्री करके बिल तो कम्प्यूटर पर बंद कर दिये मगर स्थाई तौर पर खाता बंद नहीं किया गया। मार्च 2021 में ब्याज माफी की योजना चल रही थी जिसका लाभ लेकर उन्होंने उपखण्ड कार्यालय मंगलौर से भुगतान हेतु जानकारी लेकर बताई गयी धनराशि रुपये 43,000.00 का भुगतान कर दिया था, परन्तु विभाग द्वारा कनेक्शन को फिर से चालू करके बिल को आईडीएफ में बना कर बढ़ा दिया है जबकि उनके द्वारा कोई भी आवेदन कनेक्शन खुलवाने के बाबत नहीं दिया गया था और ना ही उसे उस कनेक्शन की आवश्यकता थी और ना ही विभाग ने उनसे पूछा और अगर विभाग को कनेक्शन चालू भी करना था तो पहले उतारे गये मीटर को वापिस लाते और केबिल को जोड़ते, मगर विभाग ने अपनी लापरवाही से सिर्फ ऑन पेपर ही कनेक्शन चालू दिखा दिया वो भी आईडीएफ में जिससे बिल बहुत ज्यादा बढ़ गया। विभाग की तानाशाही यही नहीं रूकी, उन्होंने दिनांक 03.01.2022 को एक प्रार्थनापत्र अधिशासी अभियन्ता और सहायक अभियन्ता राजस्व ग्रामीण खण्ड रुड़की को रिसीव कराया था परन्तु विभाग द्वारा उस प्रार्थनापत्र पर कार्यवाही करना तो दूर बिल तक को बंद कराना जरूरी नहीं समझा क्योंकि उपखण्ड अधिकारी विनीत गुप्ता ही उस समय सहायक अभियन्ता राजस्व बन चुके थे उन्हीं ने उपखण्ड अधिकारी रहते हुए उक्त दिनांक को उनका कनेक्शन गलत तरीके से चालू किया था। उन्होंने

क्रमशः.....02

परेशान हो कर जानकारी के अभाव में एक वाद माननीय न्यायालय जिला जज हरिद्वार के यहां दर्ज कराया था जिसे माननीय न्यायालय ने सेवा और उपभोक्ता से सम्बन्धित होने के कारण खारिज कर उपभोक्ता शिकायत जैसे मंच में वाद दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया। अतः मंच से अनुरोध है कि माननीय नियामक आयोग के नियमानुसार छः माह उपरान्त बकाया पर काटे कनेक्शन का स्थाई रूप से ना काटने पर निर्धारित पेनल्टी लगा कर उनको भी क्षतिपूर्ति राशि विभाग से दिलायी जाए और भेजे गये बिल को निरस्त करने के आदेश पारित किये जाएं।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्र संख्या 6301 दिनांकित 30.10.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या आरडी21718048326 श्री दिलशाद अहमद पुत्र स्व० श्रीमती वकीला पत्नी स्व० श्री निसार, निवासी-मोहल्ला पटानपुरा, पोस्ट-मंगलौर, रुड़की, जिला-हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 02 कि०वा० दिनांक 19.12.1991 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन सं० आरडी21718048326 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी मंगलौर ने अपने कार्यालय पत्रांक 577 दिनांक 23.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 14.03.2022 को नये संयोजन हेतु पंजीकरण किया गया। जिसके आधार पर दिनांक 14.03.2022 को अस्थायी विच्छेदन की तिथि मानते हुए, उक्त संयोजन को पत्रांक 5478 दिनांक 28.10.2024 के माध्यम से स्थायी विच्छेदित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन सं० आरडी21718048326 के सापेक्ष स्थायी विच्छेदन के उपरान्त विद्युत बकाया रू०. 4872.00 धनराशि है। जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किये जाने के पश्चात विच्छेदन प्रक्रिया पूर्ण कर दी जायेगी।

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अनुभव सैनी उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उपस्थित पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02 किलोवाट विद्युत भार पर, श्रीमती वकीला के नाम पर दिनांक 19.12.1991 को जारी किया गया था। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 09.02.2019 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। इसके बाद दिनांक 30.04.2021 से दिनांक 04.07.2023 तक, आईडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 09.02.2019 के पश्चात, लगभग 26.70 माह बाद, दिनांक 30.04.2021 को आईडीएफ आधार पर बिल जारी किया गया है। दिनांक 09.02.2021 को जारी बिल में बिल की धनराशि रू० 62200.00 दर्ज है। परिवादी द्वारा, कुल देय धनराशि रू० 62200.00 के सापेक्ष, रू० 43000.00 का भुगतान किया गया है। शेष धनराशि रू० 19400.00/19456.00 का समायोजन विलंब अधिभार माफी योजना के अंतर्गत, दिनांक 03.04.2021 को दिया गया है। इस प्रकार परिवादी द्वारा दिनांक 09.02.2021 को देय, बिल की धनराशि का सम्पूर्ण भुगतान किया गया है। परिवादी का यह कथन कि प्रश्नगत संयोजन को दिनांक 14.02.2021 को विच्छेदित कर दिया गया था, सही प्रतीत होता है क्योंकि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 09.02.2019 के पश्चात कोई भी बिल, विद्युत खपत के आधार पर जारी नहीं किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या-5978 दिनांक 28.10.2024 के अनुसार परिवादी के प्रश्नगत संयोजन को दिनांक 14.03.2022 को अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया है जबकि बिलिंग हिस्ट्री में विच्छेदन की तिथि 14 फरवरी 2019 तथा 05 सितंबर 2023 दर्ज है।

पत्रावली में उपलब्ध कंज्यूमर स्टेट्स रिपोर्ट के अनुसार भी संयोजन विच्छेदन की तिथि 14.02.2019 है तथा प्रश्नगत संयोजन को स्थायी रूप से विच्छेदन किए जाने हेतु दिनांक 14.08.2019 को प्रश्नगत संयोजन की पीडी हेतु प्रकरण एसडीओ को अग्रसारित किया गया है।

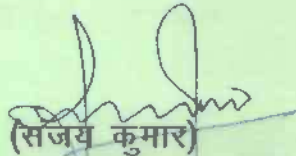
क्रमशः.....03

उक्त कार्यालय ज्ञाप पर दर्शायी गई विच्छेदन की तिथि दिनांक 14.03.2022 का उल्लेख बिलिंग हिस्ट्री में दर्ज नहीं है। अतः उक्त अस्थायी विच्छेदन की तिथि-14.03.2022 संदोहास्पद प्रतीत होती है।

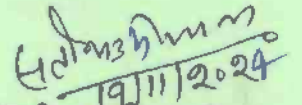
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, प्रश्नगत संयोजन दिनांक 14.02.2019 से दिनांक 14.04.2019 तक की अवधि के भीतर, अस्थायी रूप से विच्छेदित किया जाना प्रतीत होता है। अतः विपक्षी विभाग उक्त संभावित अस्थायी विच्छेदन की तिथि 14.02.2019 को अस्थायी विच्छेदन की तिथि मानते हुए तथा परिवादी द्वारा दिनांक 14.02.2019 तक का सम्पूर्ण बिल की धनराशि का भुगतान, विलंब अधिभार माफी योजना के तहत किए जाने का संज्ञान लेते हुए, स्थायी विच्छेदन की कार्यवाही पूर्ण किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह संभावित अस्थायी विच्छेदन की तिथि 14.02.2019 को अस्थायी विच्छेदन की तिथि मानते हुए तथा परिवादी द्वारा दिनांक 14.02.2019 तक का सम्पूर्ण बिल की धनराशि का भुगतान, विलंब अधिभार माफी योजना के तहत किए जाने का संज्ञान लेते हुए, स्थायी विच्छेदन की कार्यवाही पूर्ण करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


19/4/2024
(जी० एस० घर्मसत्त)
तकनीकी सदस्य


19/4/2024
(सतीश चनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 274 / 2024

दिनांक : 26.11.2024

परिवादी :- श्रीमती मधु अरोड़ा पत्नी श्री पंकज अरोड़ा, निवासी-मकान न० 274, गोविन्दपुरी, जिला-हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती मधु अरोड़ा पत्नी श्री पंकज अरोड़ा, निवासी-मकान न० 274, गोविन्दपुरी, जिला-हरिद्वार द्वारा, विद्युत संयोजन संख्या-6920624124951, विद्युत भार 02 कि०वा० के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि माह 07/2024 में उनका बिल ठीक आया था जो कि उन्होंने जमा कर दिया था, पर अचानक से माह 08/2024 से लगभग उनका विद्युत बिल अचानक जम्प मार गया, जिसका बिल रु०. 12,000.00 के लगभग आ गया। उसके अगले माह रु०. 23,000.00 का आ गया। उसके अगले माह रु०. 34,000.00 का बिल आ गया। उन्होंने चैक मीटर भी लगवाया एवं एस०डी०ओ० से भी बात की, परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके उक्त विद्युत बिल को सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा, पत्र संख्या 2802 दिनांकित 05.11.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि वादी श्रीमती मधु अरोड़ा, मकान नं०-274, गोविन्दपुरी, हरिद्वार की शिकायत का अवलोकन किया गया। विद्युत संयोजन संख्या-692/0624/124951 की बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, वादी उपभोक्ता को, CDF के बिल प्राप्त हो रहे थे। एवं वर्तमान में लगे चैक मीटर में भी शतप्रतिशत पूर्व मीटर सही पाया गया एवं upcl.Pragyaware.com पर प्राप्त Image एवं पूर्व मीटर की एम०आर०आई० के अनुसार आर०ए०पी०डी०आर०पी० सिस्टम में बीजक संशोधित किया गया है। जिसकी संशोधित धनराशि रु०. 70,316.00, दिनांक 14.02.2024 से दिनांक 18.10.2024 तक के लिये प्रस्तावित है।

मंच के समक्ष परिवादिनी श्रीमती मधु अरोड़ा को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अश्वनी कुमार उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन, 02 किलोवाट भार पर, दिनांक 21.09.2016 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त

क्रमशः.....02

संयोजन के सापेक्ष जारी बिलों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं०	बिल तिथि	अवधि		माह (लगभग)	कुल विद्युत खपत यूनिट में	औसत मासिक खपत(लगभग)	अधिकतम मांग(भार) (किलोवाट)
		से	तक				
1		15.01.2024	16.07.2024	06	1772	295	
2	19.08.2024	16.07.2024	19.08.2024	01	8744	8744	
3	20.09.2024	19.08.2024	20.09.2024	01	411	411	27.20
4	18.10.2024	20.09.2024	18.10.2024	01	266	266	22.40

क्रमांक 2 पर दर्ज विवरण से स्पष्ट होता है कि परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन में, गतिमान मीटर संख्या-189840 पर, दिनांक 16.07.2024 से दिनांक 19.08.2024 तक, 34 दिनों की अवधि में कुल 8744 (25842-17103) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है अर्थात् परिवादिनी द्वारा, उक्त 34 दिनों की अवधि में, लगातार 24 घंटे, 10.72 किलोवाट विद्युत भार का उपभोग किया गया है जो कि व्यावहारिक दृष्टि से सही नहीं है। क्रमांक 1, 3 तथा 4 पर दर्शायी गई विद्युत खपत लगभग सामान्य प्रतीत होती है जबकि, दिनांक 19.08.2024 से दिनांक 20.09.2024 तथा दिनांक 20.09.2024 से दिनांक 14.10.2024 तक की अवधि में अधिकतम मांग(भार) क्रमशः 27.20 तथा 22.40 किलोवाट दर्ज पाई गई है। क्रमांक 2 के अनुसार मासिक औसत विद्युत खपत, क्रमांक 1, 3 तथा 4 की तुलना में 95.30, 96.96 तथा 96.63 प्रतिशत अधिक है।

परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर दिनांक 14.09.2024 को चैक मीटर स्थापित किया गया है जिसे दिनांक 21.10.2024 को फाइनल किया गया है। चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार परिवादिनी के संयोजन पर स्थापित मेन मीटर सही पाया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार माह 10/2024 (13.10.2024) हेतु, अधिकतम मांग(भार) 1.70 किलोवाट तथा मीटर रीडिंग 26502(दि० 01.10.2024 को) केडब्लूएच पाई गई है।

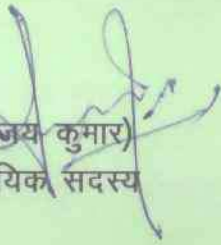
विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत मीटर के फोटोग्राफ के अनुसार दिनांक 18.10.2024 को मीटर पर अधिकतम भार 22.40 किलोवाट तथा मीटर रीडिंग 26524 दर्ज है। इस प्रकार प्रश्नगत मीटर पर दिनांक 13.10.2024 से दिनांक 18.10.2024 तक, 05 दिनों की अवधि में ही अधिकतम भार 22.40 दर्ज किया गया है तथा दि० 01.10.2024 से दिनांक 18.10.2024 तक, 18 दिनों की अवधि में कुल 22 (26524-26502) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार माह 10/2024 में, क्यूमिलेटेड अधिकतम भार 4.960 किलोवाट भार दर्ज है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 20.09.2024 को जारी बिल के सापेक्ष प्रस्तुत मीटर के फोटोग्राफ के अनुसार माह 09/2024 (20.09.2024) को अधिकतम भार 27.20 किलोवाट दर्ज पाई गई है जो कि उक्त क्यूमिलेटेड अधिकतम भार 4.960 किलोवाट भार के सापेक्ष सही प्रतीत नहीं होता है।

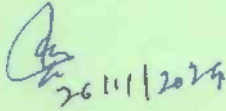
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी को दिनांक 19.08.2024 से दिनांक 18.10.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 16.07.2024 से दिनांक 18.10.2024 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी तीन बिलिंग चक्रों में दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल जारी किए जाने तथा परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन

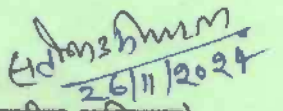
पर गतिमान मीटर संख्या-189840 को तत्काल नये मीटर द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी को दिनांक 19.08.2024 से दिनांक 18.10.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 16.07.2024 से दिनांक 18.10.2024 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी तीन बिलिंग चक्रों में दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी करे। साथ ही परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-189840 को तत्काल नये मीटर द्वारा प्रतिस्थापित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्त०)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 275/2024

दिनांक : 26.11.2024

परिवादी :- श्रीमती कुसुम पत्नी श्री संजय गिरी, निवासी-ग्राम-ब्रह्मपुर, पोस्ट-ठण्डेरी ख्वाजगीपुर, रुड़की, जिला-हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू

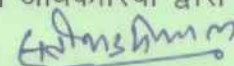
तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती कुसुम पत्नी श्री संजय गिरी, निवासी-ग्राम-ब्रह्मपुर, पोस्ट-ठण्डेरी ख्वाजगीपुर, रुड़की, जिला-हरिद्वार द्वारा, विद्युत संयोजन संख्या-681बीआर41183569, भार 02 कि0वा0 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके घर पर जो विद्युत मीटर लगा हुआ था वह बीच-बीच में जंप कर रहा था जिसके कारण मीटर रीडर द्वारा आईडीएफ में बिल भेजा जा रहा था। जिसकी शिकायत उन्होंने विद्युत विभाग को कई बार की, जिस पर विद्युत विभाग द्वारा उनको बताया गया कि उनके द्वारा मीटर ठीक कर दिया गया है परन्तु इसके पश्चात भी मीटर बीच-बीच में जंप करता रहा तथा बिजली मीटर कभी आईडीएफ तो कभी आरडीएफ में चलता रहा तथा विद्युत विभाग इसी आधार पर बिल बनाकर भेजता रहा। वह घर पर अकेली रहती हैं तथा अनपढ़ हैं तथा उनके पति बाहर रहकर मेहनत मजदूरी करते हैं। एक दिन स्थानीय बिजली घर के जेई द्वारा उनको बिजली घर में बुलाया गया तथा बिल जमान करने पर बिजली कनेक्शन काट देने की बात कही। जिस पर उन्होंने जेई को पूरी समस्या से अवगत कराया तथा मीटर के खराब होने की बात बताई जिस पर जेई ने उनको वर्तमान मीटर के स्थान पर नया मीटर लगवाने या चैक मीटर लगवाने की बात कही तथा इसके लिए प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी के नाम भेजने को कहा, या फिर विद्युत हेल्पलाईन नं0 1912 पर फोन के माध्यम से खराब मीटर के स्थान पर चैक मीटर लगवाने की शिकायत दर्ज कराने को कहा, जिस पर उन्होंने 20.02.2024 को विद्युत हेल्पलाइन नं0 1912 पर कॉल के माध्यम से चैक मीटर लगवाने की शिकायत दर्ज कराई तथा इसके लिए निर्धारित शुल्क रु0. 118.00 भी विद्युत उपखण्ड द्वितीय, रुड़की कार्यालय में जमा करा दिया परन्तु विद्युत विभाग द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। उनके द्वारा कई बार विद्युत उपखण्ड कार्यालय के चक्कर काटे जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। अन्त में उन्होंने इसकी शिकायत उच्च अधिकारी को दिनांक 11.04.2024 को की। तब विद्युत विभाग द्वारा उनके घर पर चैक मीटर लगाया गया। इसके बाद जब विद्युत विभाग द्वारा उनके घर से 18.05.2024 को चेक मीटर उतारा गया तथा परीक्षणशाला में मीटर की जांच की गई तथा परीक्षणोपरान्त मीटर खराब पाया गया तथा पुराना मीटर, चैक मीटर के सापेक्ष 84.06 प्रतिशत तेज चलता पाया गया। इसके पश्चात जांच अधिकारियों द्वारा उनको आश्वासन



क्रमशः.....02

दिया गया कि उनका बिल सुधारकर भेजा जाएगा, परन्तु अगला बिल पुनः पुरानी राशि में बढ़ा हुआ आया। इसके पश्चात् उन्होंने 19.06.2024 को उपखण्ड कार्यालय में खराब मीटर की जांच रिपोर्ट के साथ बिल ठीक कराने का प्रार्थना पत्र देकर उनका बिल सही करने का आग्रह किया, परन्तु अगले माह वही पुराना बिल बिना किसी संशोधन के भेज दिया गया। इस पर वह पुनः उपखण्ड कार्यालय गई तथा बिल ठीक करने का आग्रह किया, प्रतिउत्तर में उपखण्ड कार्यालय में कर्मचारी द्वारा उनका बिल ठीक कर दिया गया है तथा आगे किसी भी प्रकार का पत्राचार व उपखण्ड कार्यालय में इस विषय में आने को मना कर दिया एवं वहां से जाने को कहा गया। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल आईडीएफ एवं आरडीएफ से पहले जब मीटर ठीक चल रहा था, किसी भी माह को आधार मानकर वर्तमान माह तक का बिल बिना पेनल्टी के बनाने तथा जो बिल आईडीएफ एवं आरडीएफ रीडिंग के अनुसार जमा किए गये हैं उस राशि को उस नये बनाये बिल से घटाकर शेष बिल राशि का बिल बनवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा, पत्र संख्या 5415 दिनांकित 04.11.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 617 दिनांक 30.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता का घरेलू संयोजन सं०-681बीआर41183569, भार 02 कि०वा० का है जो कि दिनांक 15.10.2018 को स्वीकृत किया गया था। उपभोक्ता के आरडीएफ में निर्गत बीजको को आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत मापक की वास्तविक रीडिंग के आधार पर दिनांक 12.09.2023 को संशोधित कर दिया गया था। जिसे उपभोक्ता द्वारा भुगतान नहीं किया गया। उपभोक्ता द्वारा दिनांक 20.02.2024 को चैक मीटर स्थापित कराने हेतु आवेदन कर, चैक मीटर शुल्क का भुगतान रु०. 118.00 किया गया है। चैक मीटर स्थापित किये जाने से पूर्व के बीजको की खपत निम्नवत थी-फरवरी 2024=40 यूनिट, जनवरी 2024=57 यूनिट, नवम्बर 2023 व दिसम्बर 2023(दो माह की)=183 यूनिट(91 यूनिट प्रतिमाह), अक्टूबर 2023=223, अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023(12 माह)=361 यूनिट (361/12=30 यूनिट प्रतिमाह)। परिक्षणशाला द्वारा उपलब्ध करायी गयी विद्युत मापक संख्या एसएस15058578 की एमआरआई के Main Consumption स्तम्भ में क्रमशः जनवरी 2024, फरवरी 2024 व मार्च 2024 की मासिक खपत 67 यूनिट, 58 यूनिट व 60 अंकित है। उपरोक्त बिन्दु संख्या 5 व 6 से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उपभोक्ता का विद्युत मापक दिनांक 01.03.2024(एमआरआई में अंकित तिथि) तक रीडिंग खपत सही प्रकार कर रहा था। उपभोक्ता का विद्युत मापक 18.05.2024 को 84 प्रतिशत तेज पाया गया जिसे डिफेक्टिव मान कर दिनांक 13.02.2024 से चैक मीटर फाइनल तिथि 18.05.2024 तक की अवधि हेतु माह जुलाई 2024 में मैनुअल उक्त रूप से संशोधित कर दिया गया था जिसकी संशोधन उपरान्त देय धनराशि रु०. 25081.00 को भुगतान भी उपभोक्ता द्वारा नहीं किया गया। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि उपभोक्ता द्वारा मार्च 2019 में निर्गत बीजक रु०. 381.00 के भुगतान के बाद से चैक मीटर आवेदन तिथि 20.02.2024 तक 59 माह की दीर्घ अवधि में कोई भी बिल भुगतान नहीं किया गया है जिससे प्रतीत होता है की उपभोक्ता डिफाल्टर है।

मंच के समक्ष परिवादिनी प्रतिनिधि को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अश्विनी कुमार उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार में दिनांक 15.10.2018 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा वर्तमान में, एमयू आधार पर बिल जारी किए जा रहे हैं। परिवादिनी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या-जीयू367646, दिनांक 18.05.2024 से गतिमान है। उक्त मीटर संख्या-जीयू367646 पर, दिनांक 20.10.2024 को मीटर रीडिंग 1630 केडब्ल्यूएच दर्ज पाई गई है। अर्थात् परिवादिनी द्वारा, दिनांक

18.05.2024 से दिनांक 20.10.2024 तक, लगभग 05 माह की अवधि में, कुल 1630 कंडब्लूएच की खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादिनी द्वारा, उक्त 05 माह की अवधि में, 326 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 08.11.2022 से दिनांक 21.08.2023 तक आरडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं।

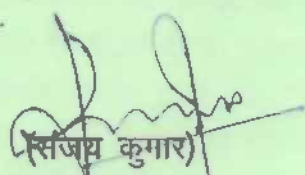
विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त आरडीएफ बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 12.09.2023 को, परिवादिनी के संयोजन पर पूर्व में स्थापित मीटर संख्या-एसएस15058578 पर दर्ज मीटर रीडिंग-820 कंडब्लूएच के आधार पर, संशोधित बिल जारी किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, मीटर संख्या-एसएस15058578 पर दिनांक 12.09.2023 से दिनांक 13.02.2024 तक, लगभग 05 माह की अवधि हेतु कुल 503 (1323-820) यूनिट की विद्युत खपत के बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार परिवादिनी द्वारा उक्त 05 माह की अवधि में, लगभग 100 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है। इसी प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा प्रश्नगत मीटर संख्या-एसएस15058578 पर, दिनांक 13.02.2024 से दिनांक 18.05.2024 तक, लगभग 3.16 माह की अवधि में कुल 551 (1874-1323) यूनिट के बिल जारी किए गए हैं इस प्रकार परिवादिनी द्वारा उक्त 3.16 माह की अवधि में लगभग 174 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि उक्त 100 यूनिट प्रतिमाह की तुलना में लगभग 74 प्रतिशत अधिक है।

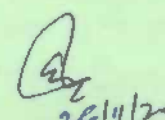
विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर दिनांक 11.04.2024 को चैक मीटर संख्या-जीयू367646 स्थापित किया गया है जिसे दिनांक 18.05.2024 को फाइनल किया गया है। चैक मीटर की तुलना में परिवादिनी का मेन मीटर 84.00 प्रतिशत तेज पाया गया है जो कि उक्त मीटर पर दिनांक 12.09.2023 से दिनांक 13.02.2024 तक (05 माह) तथा दिनांक 13.02.2024 से दिनांक 18.05.2024 तक (लगभग 3.16 माह) की अवधि के सापेक्ष की गई तुलनात्मक विद्युत खपत के आधार पर आगणित अंतर 74.00 प्रतिशत के सापेक्ष, लगभग, सही प्रतीत होती है जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि दिनांक 13.02.2024 तक जारी बिलों में दर्शायी गई विद्युत खपत, परिवादिनी द्वारा की गई वास्तविक विद्युत खपत के सापेक्ष सही है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 614 दिनांक 30.10.2024 तथा पत्रांक 5415 दिनांक 04.11.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि मीटर संख्या-एसएस15058578 के सापेक्ष परिवादिनी को जारी, दिनांक 13.02.2024 से दिनांक 18.05.2024 तक के बिलों को, पूर्व में जारी एमयू बिलों में दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर पूर्व में ही संशोधित करते हुए बिल जारी किए गए हैं जो कि उपरोक्त आंकड़ों के परिपेक्ष्य में सही प्रतीत होता है।

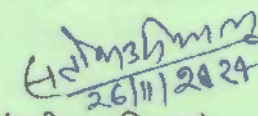
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, मीटर संख्या-एसएस15058578 के सापेक्ष परिवादिनी को जारी, दिनांक 13.02.2024 से दिनांक 18.05.2024 तक के बिलों को, पूर्व में जारी एमयू बिलों में दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर पूर्व (माह 07 / 2024) में ही संशोधित करते हुए बिल जारी किए गए हैं, फलस्वरूप परिवादिनी के विद्युत बिलों में कोई भी सशोधन किया जाना सम्भव नहीं है। अतः परिवादिनी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(राजिव कुमार)
न्यायिक सदस्य


26/11/2024
(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


26/11/2024
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत),

80, बसंत विहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।